

सफलता के 63 वर्ष
शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय,
दुर्ग (छ.ग.) 491001

GOVT. V.Y.T. POST GRADUATE AUTONOMOUS COLLEGE
DURG (CHHATTISGARH) 491001

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग छ.ग. से सम्बद्धता प्राप्त
नैक से 'ए+' ग्रेड की अधिमान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ प्रदेश का
सर्वप्रथम एवं एकमात्र महाविद्यालय



विवरणिका (2021-22)



**Re-accredited by NAAC, Bangaluru with Grade 'A+'
"College with Potential for Excellence phase-III" Declared by UGC
Centre of Excellence in Science, Declared by Chhattisgarh Govt.
Included in Star College Scheme of DBT, New Delhi
First Rank in CG in Mukhyamantri Panchmukhi Yojana 2016-17**

Phone No - 0788-2359688 Fax- 0788-2359688
Email- pprinci2010@gmail.com
Website- www.govtsciencecollegedurg.ac.in

50 / - रूपये मात्र

महा. में उपलब्ध छात्रावास, प्रयोगशालायें, ग्रंथालय, सेमीनार हॉल एवं खेलकूद संसाधनों की झलक



वनस्पति शास्त्र प्रयोगशाला



मुख्य ग्रंथालय



लैंग्वेज लैब



रसायन शास्त्र प्रयोगशाला



रुसा द्वारा निर्मित नवीन व्याख्यान कक्ष



रवीन्द्रनाथ टैगोर सेमीनार हॉल



प्राणी शास्त्र प्रयोगशाला



महाविद्यालय क्रीडा मैदान



इन्दोर बैडमिंटन हॉल



भूगर्भशास्त्र प्रयोगशाला



छात्रों हेतु उपलब्ध महा का छात्रावास



स्नातकोत्तर व्याख्यान कक्ष



स्वामीविवेकानंद हॉल



क्रांफ्रेस हॉल



कम्प्यूटर लैब



कन्या छात्रावास



एपीजे स्मार्ट क्लास रूम



भौतिक शास्त्र स्मार्टक्लास रूम

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु महाविद्यालय में आयोजित विभिन्न गतिविधियों की झलक



राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर निबंध एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन



वृक्षारोपण करते हुए रा.से.यो. इकाई की छात्राएं



स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग द्वारा दैनिक सबेरा संकेत का शैक्षणिक भ्रमण



विस्तार गतिविधि के अंतर्गत उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम



वनविभाग द्वारा आयोजित पक्षी उत्सव में छात्राओं ने बनाया रंगोली



योगाभ्यास करते हुए योगदर्शन विभाग के विद्यार्थी



अपर संचालक उ शि.छ.ग. शासन डॉ चंदन त्रिपाठी प्राणिशास्त्र लैब का अवलोकन करते हुए



वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेते विद्यार्थी



रेडक्रास सोसायटी के विद्यार्थियों द्वारा कोरोना जागरूकता कार्यक्रम



मानव विज्ञान विभाग द्वारा कोविड-19 के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम



महाविद्यालय में राजनीति विभाग द्वारा छात्र-सांसद का आयोजन



एक भारत-श्रेष्ठ भारत—सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक दृश्य



प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए एन सी सी के कैडेट



अंग्रेजी विभाग द्वारा गोदग्राम में ग्रामीण पुस्तकालय का उद्घाटन



संस्कृत एवं हिन्दी विभाग द्वारा स्वास्थ्य एवं शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम

महाविद्यालय के स्मरणीय क्षण



माननीय श्री अरुण वोरा (विधायक), दुर्ग एवं श्री धीरज बाकलीवाल (महापौर) द्वारा व्यंजना पत्रिका एवं कॉलेज समाचार का विमोचन



डॉ. श्रीमती चंदन त्रिपाठी अपर संचालक उ.शि, रायपुर द्वारा इंग्लिश लैंग्वेज लैब का अवलोकन



महाविद्यालय में 'एकभारत-श्रेष्ठभारत' कार्यक्रम के अंतर्गत नृत्य प्रस्तुत करती हुई छात्राएं

विवरणिका (Prospectus) 2021-22



शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

{पूर्वनाम: शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)}

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग छ.ग. से सम्बद्धता प्राप्त

नैक ग्रेड-ए+, सी.पी.ई.-फेस-3, डी.बी.टी.-स्टार कालेज

फोन नं. 0788.2359688, फैक्स नं. 0788.2359688

Website: www.govtsciencecollegedurg.ac.in

Email- pprinci2010@gmail.com

प्रकाशक

प्राचार्य, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी

महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

विद्यार्थियों को वैध परिचय पत्र सदैव महाविद्यालय में लेकर आना होगा। समय-समय पर आकस्मिक जांच के दौरान प्रवेश पत्र न रखने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

रैगिंग दण्डनीय अपराध है, रैगिंग पर लिप्त पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

| कं. | विवरण | पेज नं. |
|-----|---|---------|
| 1 | प्राचार्य का संदेश | 3 |
| 2 | विश्वनाथ यादव तामस्कर –एक परिचय | 4 |
| 3 | महाविद्यालय का स्वर्णिम सफर–एक दृष्टि में | 6 |
| 4 | महाविद्यालयीन परीक्षा समय सारिणी | 8 |
| 5 | पीएचडी उपाधि हेतु मान्यता प्राप्त केंद्र | 9 |
| 6 | अध्ययन के विषय एवं उपलब्ध स्थान | 10 |
| 7 | स्ववित्तीय प्रणाली के अंतर्गत संचालित रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम | 12 |
| 8 | पदक / पुरस्कार | 13 |
| 9 | पी.एच.डी. शोध उपाधि हेतु मान्यता प्राप्त शोध निर्देशकों की सूची | 14 |
| 10 | महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधन | 15 |
| 11 | शुल्क विवरण | 16 |
| 12 | शुल्क संबंधी रियायतें | 18 |
| 13 | महाविद्यालय छात्रावास में प्रवेश शुल्क का विवरण | 19 |
| 14 | स्वशासी परीक्षा प्रणाली हेतु सामान्य निर्देश | 20 |
| 15 | पाठ्येत्तर गतिविधियां | 21 |
| 16 | वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिये प्रस्तावित अकादमिक कैलेण्डर | 23 |
| 17 | महत्वपूर्ण तिथि | 24 |
| 18 | छत्तीसगढ़ के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त | 25 |
| 19 | छात्रवृत्ति का विवरण | 36 |
| 20 | छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता | 37 |
| 21 | महाविद्यालय से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु सम्पर्क क्रमांक एवं संपर्क स्थल का विवरण | 39 |
| 22 | महाविद्यालय में कार्यरत् प्राध्यापक, कर्मचारियों का विभागवार विवरण | 40 |
| 23 | ग्रंथालय की सदस्यता हेतु आवेदन पत्र | 44 |
| 24 | लोक सेवा गारंटी | 45 |
| 25 | छात्र–छात्रा / अभिभावक का शपथ पत्र | 46 |
| 26 | बालक छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र | 48 |
| 27 | पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना हेतु आवेदन पत्र | 49 |
| 28 | महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र | |
| 29 | कम्प्यूटर फार्म | |

प्राचार्य की कलम से



प्रिय विद्यार्थियों,

नये शिक्षण सत्र 2021-22 के आरंभ होने पर आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। महाविद्यालय परिवार के मुखिया के रूप में इस महाविद्यालय में प्रवेश पाने वाले समस्त छात्र-छात्राओं एवं उनके पालकों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि शैक्षणिक वर्ष 2016-17 में इस महाविद्यालय को अभूतपूर्व सफलता तब प्राप्त हुई जब नैक, बंगलौर द्वारा पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् इस महाविद्यालय को 3.58 सीजीपीए अंकों के साथ 'ए प्लस' ग्रेड प्रदान किया गया। मुझे आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारा महाविद्यालय नैक, बंगलौर द्वारा पुनर्मूल्यांकित छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक मात्र एवं सर्वप्रथम 'ए+' ग्रेड प्राप्त महाविद्यालय है। महाविद्यालय की उल्लेखनीय गतिविधियों के आधार पर यूजीसी, नई दिल्ली ने इसे यूजीसी की प्रतिष्ठित योजना "कालेज विथ पोर्टेण्डियल फॉर एक्सीलेंस (सीपीई) फेस 3" में भी शामिल किया है। इस उपलब्धि का सम्पूर्ण श्रेय महाविद्यालय परिवार के प्रत्येक सदस्य- वर्तमान एवं भूतपूर्व छात्र-छात्राएं, वर्तमान एवं भूतपूर्व प्राध्यापक तथा प्राचार्य गण, सम्मानीय पालकगण, उच्चशिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन तथा महाविद्यालय से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़े समाज के विभिन्न वर्गों के नागरिकों को जाता है। सत्र 2020-21 में हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों, शोधार्थियों, प्राध्यापकों एवं खिलाड़ी छात्र-छात्राओं ने अकादमिक, सांस्कृतिक, खेलकूद एवं अन्य पाठ्येत्तर गतिविधियों में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेष्ठता का परिचय दिया है। महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्र-छात्राओं ने छत्तीसगढ़ राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा सेट एवं नेट में भी बड़ी संख्या में सफलता प्राप्त की। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 2019-20 एवं 2020-21 सहायक प्राध्यापक चयन परीक्षा में महाविद्यालय के लगभग 80 भूतपूर्व छात्र-छात्राओं का चयन समूचे महाविद्यालय परिवार के लिए गौरव का विषय है। मैं इन सभी को अपनी तरफ से बधाई एवं भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क तैयार करने हेतु चयनित देश के 20 प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में महाविद्यालय का चयन समूचे महाविद्यालय परिवार के लिए हर्ष की बात है। पिछले शैक्षणिक सत्र में महाविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं प्लेसमेंट सेल के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाने की दृष्टि से अनेक सार्थक प्रयास किये हैं। इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप महाविद्यालय के अनेक विद्यार्थियों का प्रतिष्ठित संस्थाओं में कैंपस इंटरव्यू द्वारा चयन, एन.सी.सी., एन.एस.एस एवं यूथ रेडक्रास के छात्र-छात्राओं ने भी अपने उल्लेखनीय समाज सेवी कार्यों के द्वारा विशिष्ट छाप छोड़ी है। खासकर कोविड-19 के बचाव हेतु सभी विभागों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए और जरूरत मंदों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया। अक्टूबर 2016 एवं नवम्बर 2017, अगस्त 2018 एवं जनवरी 2020 में आयोजित एवं भारतीय विज्ञान एवं तकनीकी प्रभाग (डीएसटी) नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित "इंस्पायर प्रोग्राम" का आयोजन एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न जिलों के 200 शालेय छात्र-छात्राओं की सहभागिता इस महाविद्यालय के इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध हुई है।


गत शैक्षणिक सत्र में महाविद्यालय में 03 स्मार्ट क्लास रूम विकसित किये गये हैं। इनके अतिरिक्त महाविद्यालय में रवीन्द्रनाथ टैगोर सेमीनार हॉल, डॉ. ए.पी.जे. कलाम स्मार्ट क्लास रूम महाविद्यालय में स्थापित किये गये हैं। विद्यार्थियों एवं पालकों की सुविधा हेतु महाविद्यालय प्रशासनिक भवन में रिसेप्शन काउंटर, हेल्प डेस्क, डिजिटल स्क्रीन, डिस्प्ले बोर्ड, एस.एम.एस. द्वारा विद्यार्थियों, पालकों एवं महाविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचना का सम्प्रेषण जैसी नयी सुविधायें आरंभ की गयी है तथा पूरे ग्रंथालय को पूर्णतः आटोमेशन किया जा चुका है। महाविद्यालय ग्रंथालय में शोधार्थियों हेतु प्रथम तल पर रिफरेन्स सेक्शन भी आरंभ किया गया है। समूचे महाविद्यालय परिवार एवं आम नागरिकों हेतु महाविद्यालय के मुख्य द्वार के समीप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम तथा कॉलेज स्टेशनरी शॉप की सुविधा भी मुहैया करायी गयी है। महाविद्यालय में रूसा एवं छत्तीसगढ़ शासन की मदद से निर्मित 14 व्याख्यान कक्षां तथा 100 सीटर बालक छात्रावास का लोकार्पण हो चुका है। कन्या छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जो इस सत्र में प्रारंभ हो जाएगा। ऑटोनामस के लिए अलग भवन निर्माणाधीन है। इसके बन जाने से ऑटोनामस के कार्य निस्पादन में सुविधा होगी।

शासन की महत्वाकांक्षी योजना "सैटेलाइट के माध्यम से शिक्षण" हेतु चुने गये 5 महाविद्यालयों में से इस महाविद्यालय का चयन हम सभी के लिए हर्ष का विषय है। एजुकेशन के क्षेत्र में महाविद्यालय को एक और बड़ी उपलब्धि है एजुकेशनल वर्ल्ड नाम की एक मैकिजिन ने देशभर के श्रेष्ठ आटोनामस कालेजों की सूची में साइंस कॉलेज को 10वां स्थान दिया है। इस शिक्षण सत्र से एक पी.जी. डिप्लोमा कोर्स और 07 नये सर्टिफिकेट कोर्स साथ ही मूल्य आधारित पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है साथ ही विद्यार्थियों हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाएं प्रस्तावित है। इनमें पोस्ट ग्रेजुएट एवं ग्रेजुएट स्तर पर नये रोजगारमुखी पाठ्यक्रमों का स्ववित्तीय आधार पर आरंभ करना, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग कक्षाओं का आयोजन तथा ग्रंथालय में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकों का क्रय, काउंसिलिंग आधारित पीजी कक्षाओं में प्रवेश, स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना, कैंटीन तथा बालक छात्रावास का उन्नयन आदि प्रमुख हैं।

गतवर्ष की भांति इस (कोविड-19) काल में भी ऑनलाइन अध्यापन, शैक्षणिक तथा शैक्षणेततर गतिविधियों को जारी रखा। महत्वपूर्ण विषयों पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वेबीनार का आयोजन किया साथ ही इस महामारी से उबरने के लिए शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों ने बड़े संयम व धैर्य से कार्य किया तथा जनता को जागरूक करने में अपनी अहम भागीदारी सुनिश्चित की। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि हमारे विद्यार्थी भी अपने परिश्रम, ईमानदारी से अपने लक्ष्य को प्राप्तकर महाविद्यालय के नाम को रौशन करेंगे, जिससे हमारा महाविद्यालय न केवल छत्तीसगढ़ अपितु देश के प्रतिष्ठित महाविद्यालय के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर सके।

शुभकामनाओं सहित


(डॉ. आर.एन.सिंह)
प्राचार्य



विश्वनाथ यादव राव तामस्कर—एक परिचय

स्व. श्री विश्वनाथ यादव राव तामस्कर दुर्ग जिले के ऐसे जुझारू नेता के रूप में जाने जाते हैं, जिनका व्यक्तित्व आज भी हमारे लिये प्रेरणा प्रदान करता है। तामस्कर जी ने विदेशी सरकार से लड़ने से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिये जो योगदान इस प्रदेश को दिया है वह अनुकरणीय है।

स्व. श्री विश्वनाथ यादव राव तामस्कर का जन्म दुर्ग के बेमेतरा तहसील के अंतर्गत झाल नामक ग्राम में 7 जुलाई 1901 में हुआ था। आपके पिता श्री यादव वामन तामस्कर कोर्ट में अर्जीनवीस थे एवं माता का नाम पुतली बाई था। आपकी अधूरी शिक्षा दुर्ग तथा बिलासपुर में पूर्ण हुई तथा कानून की पढ़ाई करने इलाहाबाद गये। यहां पर आप गांधीवादी नेताओं के सम्पर्क में आये और विभिन्न आंदोलनों में भाग लेने गये। इसी समय 1921 में असहयोग आंदोलन के बहिष्कार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये आप कानून की पढ़ाई छोड़कर अपने ग्राम वापस आ गये। आंदोलन समाप्त होने के पश्चात् पुनः पढ़ाई प्रारंभ कर 1927 में नागपुर से कानून की डिग्री लेकर वकालत का पेशा अपनाया किन्तु आपका मन देशप्रेम में रम चुका था, इसलिये 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में कूद पड़े। नमक कानून की तरह छत्तीसगढ़ में जंगल कानून तोड़ने का सत्याग्रह हुआ। इस सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुये आप गिरफ्तार हुये। ब्रिटिश सरकार से अपने कृत्य पर क्षमा नहीं मांगने के कारण आप पर भारी जुर्माना लगाया था तथा एक वर्ष का कठोर कारावास दिया। जुर्माना नहीं पटाने पर आपकी बहुत सी सम्पत्ति और ग्रंथालय को नीलाम कर दिया गया। तामस्कर जी शासन के इस अत्याचार के आगे नहीं झुके बल्कि जेल से छूटते ही दुबारा आंदोलन में कूद पड़े। शराबबंदी आंदोलन में भाग लेते हुये दुबारा 9 माह के लिये जेल गये। साथ ही सरकार ने उनसे वकालत करने का अधिकार छीन लिया। ब्रिटिश शासन की यह नीति देशभक्तों को कुचलने की थी, किन्तु जनता ने ऐसे देश भक्तों को अपने सर आँखों में बैठाया था। तामस्कर जी 1930 से 1933 तक बेमेतरा कौंसिल के चेयरमेन चुन लिये गये। 1933 में दुर्ग डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के सदस्य तथा 1937 से 1940 तक उसके चेयरमेन के पद को शोभित किया। 1937 में प्रांतीय सरकार बनाने के लिये हुये चुनाव में आप बेमेतरा क्षेत्र से मध्यप्रान्त के धारासभा (विधानसभा) के प्रतिनिधि निर्वाचित हुये। 1939 में द्वितीय महायुद्ध के काल में विरोध स्वरूप सभी कांग्रेसी सदस्यों की तरह विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया तथा गांधीजी द्वारा संचालित 1941 का व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सत्याग्रही के रूप में भाग लिया। स्वतंत्रता संग्राम के काल में आपने कुल मिलाकर लगभग पांच वर्षों तक जेल यात्रा की थी। इसी बीच समाज सुधार के कार्यक्रम में भी आपने सक्रिय भागीदारी निभायी और अछूतोद्धार कार्यक्रम से जुड़े रहे।

1952 के पहले आम चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर विजयी हुये तो 1957 में दुर्ग शहर से सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर विधान सभा के सदस्य बने। म.प्र. के पूर्व मुख्यमंत्री पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र के प्रयत्नों से आपने 1967 का चुनाव लड़ना स्वीकार कर लिया तथा विजयी होकर संसद में प्रवेश किया। आप छत्तीसगढ़ की जनता और किसानों की आवाज देश के संसद में पहुंचाते रहे। शायद छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण और बहुत पहले हो जाता किन्तु नियति ने इस कर्मठ माटीपुत्र को 2 सितम्बर 1969 को हमारे बीच से उठा लिया। छत्तीसगढ़ की माटी सदा ऐसे जुझारू संतानों के प्रति ऋणी रहेगी। ऐसे कर्मठ एवं माटीपुत्र देशभक्त के नाम पर हमारे महाविद्यालय का छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नामकरण किये जाने पर समूचा महाविद्यालय परिवार गौरवावित महसूस करता है।

विवरणिका (Prospectus)

मध्यप्रदेश शासन द्वारा अगस्त 1958 में स्थापित यह महाविद्यालय पूर्व में शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, दुर्ग के नाम से जाना जाता था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ प्रदेश की स्थापना के पश्चात् इस महाविद्यालय का नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं दुर्ग के सांसद स्वर्गीय श्री विश्वनाथ यादव राव तामस्कर के नाम पर परिवर्तित कर दिया गया। सत्र 1988-89 में इस महाविद्यालय को शासन द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत स्वशासी महाविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया। महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु इच्छुक विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष अपने संबंधित परीक्षा परिणामों की घोषणा के 15 दिवसों के अंदर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र एवं आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक संकाय के पार्ट-1 कक्षा में प्रवेश हेतु पृथक-पृथक प्रवेश आवेदन पत्र जमा किया जाना अनिवार्य होगा। इन सभी आवेदन पत्रों में आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा। वर्तमान में यह महाविद्यालय छ.ग. सरकार द्वारा स्थापित दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग से संबद्ध है।

प्रवेश आवेदन पत्र में संलग्न प्रपत्रों की सूची (चेक लिस्ट)

1. नवीनतम पासपोर्ट फोटो
2. विद्यालय/महाविद्यालय छोड़ने का स्थानांतरण प्रमाण पत्र (T.C)
3. पिछली संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र।
4. छत्तीसगढ़ प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
5. अंकसूची (10 वीं, 12 वीं) तथा स्नातकोत्तर कक्षा हेतु समस्त अंकसूची
6. आधार कार्ड की छायाप्रति।
7. अनुसूचित जाति/जनजाति/विकलांग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/बी.पी.एल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले का प्रमाण पत्र।
8. अन्य विश्वविद्यालयों/बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी माइग्रेसन सर्टिफिकेट/पात्रता प्रमाण पत्र।
9. समय अंतराल (Gap Affidavit) (यदि किसी शिक्षा सत्र में अंतराल रहा हो तो)

| समय चक | |
|--|--|
| विभिन्न संकाय के कक्षाओं के लिये समय चक निम्नलिखित है :- | |
| (क) | कला संकाय : बी.ए., एम.ए. एवं एमएसडब्ल्यू- प्रात 7.30 बजे से 2.30 बजे तक |
| (ख) | वाणिज्य संकाय : बी.कॉम. और एम.कॉम - प्रात 7.30 बजे से 2.30 बजे तक |
| (ग) | विज्ञान संकाय : बी.एससी/बी.सी.ए./बी.लिब.आईएससी/पीजीडीसीए/एम.एससी /एम. लिब.आई.एससी. -प्रात 10.30 बजे से 5.30 बजे तक |

महाविद्यालय का स्वर्णिम सफर – एक दृष्टि में

- स्थापना वर्ष एवं स्थल – 1958 (हिन्दी भवन, दुर्ग)
- पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं का आरंभ – 1965
- स्वशासी महाविद्यालय का दर्जा – 1989
- स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों स्तर पर स्वशासीकरण – 2006
- 2006 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महाविद्यालय विज्ञान संकाय में “Centre of Excellence” घोषित।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली द्वारा महाविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग को प्रतिष्ठित “FIST” योजना हेतु चयनित किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) नई दिल्ली की प्रतिष्ठित “कालेज विथ पॉटेणशियल फॉर एक्सीलेंस” सीपीई योजना के प्रथम चरण (2006), द्वितीय चरण (2010) तथा तृतीय चरण (2014) में चयनित होने वाला छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम एवं एकमात्र महाविद्यालय।
- राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद (नैक) बंगलूरु द्वारा नवंबर 2011 में द्वितीय चरण में महाविद्यालय को “ए” ग्रेड प्रदान किया गया तथा फरवरी 2017 में तृतीय चरण में महाविद्यालय को “ए प्लस” ग्रेड प्राप्त हुआ।
- बायोटेक्नालॉजी विभाग, नई दिल्ली द्वारा 2012 में “स्टार कालेज” स्कीम में महाविद्यालय का चयन
- कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकायों में अध्ययन की सुविधा।
- 17 (एम.ए., एम.कॉम, एमएससी, एमलिब आईएससी) विषयों में स्नातकोत्तर तथा 24 विषयों में स्नातक स्तर पर अध्ययन की सुविधा। उक्त सभी पाठ्यक्रम दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग से सम्बद्धता प्राप्त।
- 16 स्नातकोत्तर विभाग, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग के द्वारा मान्यता प्राप्त शोध केन्द्र।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा “नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क” निर्माण हेतु देश के चुनिंदा 20 महाविद्यालयों में चयनित महाविद्यालय।
- एजुकेशनल वर्ल्ड मैग्जिन के सर्वे के अनुसार देशभर के श्रेष्ठ ऑटोनामस कॉलेजों की सूची में महाविद्यालय को 10वां स्थान प्राप्त।
- महाविद्यालय की खिलाड़ी छात्रा कु. संतोषी मांझी को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा “गुंडाधुर पुरस्कार” प्रदत्त।
- महाविद्यालय के छात्र रंजीत पटेल का विश्व कासकट्री चैम्पियनशिप, टर्की में भाग लेने हेतु भारतीय विश्वविद्यालयीन टीम में चयन।
- प्रतिवर्ष यूजीसी नई दिल्ली की पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च फेलो, राजीव गांधी फेलोशिप, मौलाना आजाद फेलोशिप, इंदिरा गांधी सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप में महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं चयनित।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) नई दिल्ली के वूमन्स साइन्टिस्ट अवार्ड हेतु महाविद्यालय की शोध छात्राओं का चयन।
- छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट अवार्ड
- कैंपस इंटरव्यू, संघ लोक सेवा आयोग, छ.ग. लोक सेवा आयोग व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय रेल्वे, भिलाई इस्पात संयंत्र, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इंडियन ऑयल, शैक्षणिक संस्थानों, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम तथा अनेकों विदेशी प्रतिष्ठानों में सेवा हेतु चयनित।
- यूएस इंडिया फुलब्राइट फेलोशिप, यूजीसी वूमन्स रिसर्च अवार्ड, कामन वेल्थ अकादमिक स्टॉफ फेलोशिप, यूजीसी पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप, यंग साइंटिस्ट अवार्ड, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव पुरस्कार, डॉ. बेलसरे स्वर्णपदक आदि से सम्मानित प्राध्यापकों की टीम।
- गहन शोध, अध्ययन अध्यापन से जुड़े प्राध्यापक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध सेमिनार/संगोष्ठी में सहभागिता, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में लेखक, सम्पादक एवं रेफरी के रूप में मनोनीत प्राध्यापक।
- सत्र 2019–20 में महाविद्यालय के 25 नियमित/भूतपूर्व विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर की नेट परीक्षा में सफलता अर्जित की। छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2019 ने महाविद्यालय के 22 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की।
- इसी श्रृंखला में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2019–20 एवं 2020–21 में लगभग महाविद्यालय के 80 भूतपूर्व छात्रों ने चयनित होकर महाविद्यालय का नाम रौशन किया।

- महाविद्यालय द्वारा सत्र 2016–17, 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में डीएसटी नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित इंस्पायर इंटरनशिप साइंस कैम्प आयोजित।
- सत्र 2017–18 में छत्तीसगढ़ कौंसिल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, रायपुर द्वारा प्रायोजित एवं दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा आयोजित 16वीं यंग साइंटिस्ट कांग्रेस की संयुक्त रूप से मेजबानी।
- खेलकूद, एनएसएस, एनसीसी एवं यूथ रेडकास सोसायटी सांस्कृतिक समारोह के क्षेत्र में अग्रणी महाविद्यालय/राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में महत्वपूर्ण भागीदारी। यूथ रेडकास राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत।
- लगभग एक लाख पुस्तकों युक्त अत्याधुनिक ग्रंथालय तथा वाचनालय में ई-रिसोसेस उपलब्ध जिसके अंतर्गत इंटरनेट, N-List, शोध गंगा, शोध गंगोत्री जैसी ई जर्नल्स समाचार पत्र, पत्रिकाओं के पठन पाठन की सुविधा उपलब्ध।
- छात्रों के लिए सर्वसुविधा युक्त बालक/बालिका छात्रावास की सुविधा।
- महाविद्यालय में रूसा तथा छत्तीसगढ़ शासन उच्चशिक्षा विभाग के द्वारा प्रदत्त राशि से 14 नये व्याख्यान कक्ष उपलब्ध।
- महाविद्यालय परिसर में यूजीसी के सहयोग से कन्या छात्रावास निर्माण पूर्ण।
- विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु महाविद्यालय में नियमित रूप से स्पोकन इंग्लिश, पर्सनलिटी डेव्लपमेंट, कम्प्यूनिकेशन स्किल, कम्प्यूटर शिक्षा, शैक्षणिक भ्रमण स्नातकोत्तर कक्षाओं में पावर पाइंट प्रेजेंटेशन, सांस्कृतिक व अनेक साहित्यिक प्रतियोगिताओं का आयोजन।
- महाविद्यालय के गणित विभाग द्वारा प्रतिवर्ष क्षेत्रीय एवं राज्य स्तरीय मेथेमेटिक्स ओलंपियाड तथा माधव मेथेमेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन।
- आर्थिक रूप से कमजोर एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों की सहायता हेतु महाविद्यालय के नियमित प्राध्यापकों द्वारा स्वयं सेवी संस्था “जन उन्नयन” का गठन।
- आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों तथा प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त विद्यार्थियों हेतु विभिन्न शासकीय छात्रवृत्तियों की सुविधा।
- विद्यार्थियों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के आयोजनों हेतु महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद ऑडियो विजुअल हॉल, ग्रंथालय के प्रथम तल पर निर्मित सेमीनार हाल, कांफ्रेस हाल आदि की सुविधा।
- स्मार्ट क्लास रूम की सुविधा।
- शारीरिक स्वस्थता एवं नियमित व्यायाम हेतु महाविद्यालय परिसर में “फिटनेस सेंटर” की स्थापना प्रस्तावित तथा विद्यार्थियों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु मेडिकल इन्वेस्टीगेशन रूम की सुविधा।
- विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु महाविद्यालय में “ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल” की स्थापना। विगत वर्षों में देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में महाविद्यालय के विद्यार्थियों का कैम्पस सलेक्शन।
- कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को कैरियर संबंधी मार्गदर्शन देने हेतु महाविद्यालय में “हेल्प डेस्क” की स्थापना।
- महाविद्यालय में नवप्रवेशित विद्यार्थियों को महाविद्यालय से संबंधित जानकारी प्रदान करने हेतु प्रतिवर्ष “इंडक्शन कार्यक्रम” का आयोजन।
- महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु आधुनिक शोध उपकरणों की सुविधा युक्त “सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन लैब” लैंग्वेज लैब, टिशू कल्चर लैब, रॉक कटिंग व पालिशिंग मशीन, माइक्रोबायलाजी लैब, बायोटेक्नालाजी लैब, भौतिकी, रसायन, वनस्पति, प्राणीशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, भूगर्भशास्त्र, भूगोल आदि प्रयोगशालाओं की उपलब्धता।
- विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं के निदान एवं परामर्श हेतु महाविद्यालय में “मनोवैज्ञानिक परामर्श केन्द्र” की स्थापना।
- महाविद्यालय के मुख्य द्वार के समीप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम की स्थापना।
- महाविद्यालय परिसर में “लेटर बॉक्स” की सुविधा।
- महाविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के समीप विद्यार्थियों हेतु बस स्टैण्ड (प्रतीक्षालय) की सुविधा।

महाविद्यालयीन परीक्षा समय सारिणी

आंतरिक परीक्षाएं (Internal Assessment Test)

त्रैमासिक परीक्षा – सितंबर माह में

अर्धवार्षिक परीक्षा – दिसंबर माह में

प्री एक्जामिनेशन टेस्ट (मॉडल टेस्ट) – जनवरी माह में

वार्षिक परीक्षाएं (स्नातक स्तर)

(बी.ए., बी.काम, बीएससी, बीसीए, बी लिब आईएससी)

वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा– फरवरी माह में

वार्षिक सैध्दांतिक परीक्षा– मार्च माह में

सेमेस्टर परीक्षाएं (स्नातकोत्तर स्तर)

(एम.ए., एमएससी, एम कॉम, पीजीडीसीए, एम.लिब आईएससी), एमएसडब्ल्यू

प्रथम व तृतीय सेमेस्टर

प्रायोगिक परीक्षा – नवम्बर माह के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में

प्रीपरेशन लीव – नवम्बर माह के अंतिम सप्ताह में

सैध्दांतिक परीक्षा – दिसंबर माह में

द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर

प्रायोगिक परीक्षा – अप्रैल माह के द्वितीय/तृतीय सप्ताह में

प्रीपरेशन लीव – अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में

सैध्दांतिक परीक्षा – मई माह में

नोट – विशेष परिस्थितियों में उक्त परीक्षा तिथियों में संशोधन का अधिकार प्राचार्य को होगा।

अध्ययन/अध्यापन की सुविधा

स्नातक स्तर (Under Graduate level)

कला संकाय (Arts faculty) (B.A.)

हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, विधि, पर्यावरण अध्ययन, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान

वाणिज्य एवं प्रबंध संकाय (Commerce & Management faculty) (B.Com.)

वाणिज्य (दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा घोषित पाठ्याक्रमानुसार सभी अनिवार्य विषय पर्यावरण अध्ययन एवं मानव अधिकार (बी.काम विथ कम्प्यूटर एप्लीकेशन)

विज्ञान संकाय (Science faculty) (BSc)

भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, सूचना प्रौद्योगिकी, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भूगर्भशास्त्र, पर्यावरण अध्ययन एवं मानव अधिकार

स्ववित्तीय/रोजगारउन्मुखी पाठ्यक्रम (Self Financing/Job Oriented Courses)

माइक्रोबायलाजी, बायोटेक्नालाजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर साइंस, बायोकेमेस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमेस्ट्री, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान

स्नातकोत्तर स्तर (Post Graduate Level)

कला संकाय (Arts Faculty) (M.A.)

हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, भूगोल

वाणिज्य एवं प्रबंध संकाय (Commerce Faculty) (M.Com.)

वाणिज्य

विज्ञान संकाय (Science faculty) (M.Sc)

भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणीशास्त्र, गणित, भूगर्भशास्त्र

स्ववित्तीय पाठ्यक्रम (Self Financing Courses) (M.Sc) तथा MSW, PGDCA

माइक्रोबायलाजी, बायोटेक्नालॉजी, एम.लिब आईएससी, पीजीडीसीए, मास्टर ऑफ सोशल वर्क (MSW)

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग के पीएच.डी. उपाधि हेतु मान्यता प्राप्त शोध केन्द्र

1. भौतिक शास्त्र विभाग
2. रसायन विभाग
3. गणित विभाग
4. वनस्पति शास्त्र विभाग
5. प्राणीशास्त्र विभाग
6. भूगर्भशास्त्र विभाग
7. बायोटेक्नालॉजी विभाग
8. हिंदी विभाग
9. अंग्रेजी विभाग
10. राजनीति शास्त्र विभाग
11. समाजशास्त्र विभाग
12. इतिहास विभाग
13. अर्थशास्त्र विभाग
14. वाणिज्य विभाग
15. भूगोल
16. माइक्रोबायलॉजी

अध्ययन के विषय एवं उपलब्ध स्थान

स्नातक :- कुल तीन संकाय 1. कला 2. विज्ञान 3. वाणिज्य

(1) स्नातक तीनों संकाय में अनिवार्य विषय :-

1. हिंदी भाषा 2. अंग्रेजी भाषा 3. पर्यावरण अध्ययन एवं मानव अधिकार (केवल प्रथम वर्ष में)

(अ) विज्ञान संकाय -

| स. कं. | गणित समूह | सीट संख्या |
|--------|---|------------|
| 1 | भौतिक शास्त्र, गणित, रसायन शास्त्र | 320 |
| 2 | भौतिक शास्त्र, गणित, इलेक्ट्रानिक्स | 40 |
| 3 | भौतिक शास्त्र, गणित, कम्प्यूटर साईंस | 100 |
| 4 | भौतिक शास्त्र, गणित, भूगर्भशास्त्र | 65 |
| 5 | रसायन शास्त्र, गणित, औद्योगिक रसायन | 30 |
| 6 | भौतिक शास्त्र, गणित, औद्योगिक रसायन | 30 |
| 7 | भौतिक शास्त्र, गणित, सूचना प्रौद्योगिकी | 60 |

| स. कं. | बायो समूह | सीट संख्या |
|--------|---|------------|
| 1 | रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र | 210 |
| 2 | रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, माइक्रोबायोलॉजी | 90 |
| 3 | रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, बायो रसायन | 50 |
| 4 | रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, बायो टेक्नोलॉजी | 55 |
| 5 | रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, मानव विज्ञान | 40 |
| 6 | रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र/वनस्पति शास्त्र, औद्योगिक रसायन | 30 |
| 7 | रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भूगर्भशास्त्र | 50 |

(ब) कला संकाय -

| स. कं. | बी.ए. कला समूह कुल सीट-500 |
|--------|---|
| 1 | इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल |
| 2 | राजनीति, समाजशास्त्र, भूगोल |
| 3 | अर्थशास्त्र, इतिहास, मानव विज्ञान |
| 4 | अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मानव विज्ञान |
| 5 | अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, मानव विज्ञान |
| 6 | अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, मानव विज्ञान |
| 7 | हिन्दी साहित्य, इतिहास, मानव विज्ञान |
| 8 | इतिहास, राजनीति विज्ञान, मानव विज्ञान |
| 9 | अर्थशास्त्र, हिन्दी साहित्य, भूगोल |
| 10 | अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल |
| 11 | अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल |
| 12 | अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल |
| 13 | हिन्दी साहित्य, इतिहास, भूगोल |
| 14 | हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, भूगोल |
| 15 | हिन्दी साहित्य, समाजशास्त्र, भूगोल |
| 16 | इतिहास, राजनीति, भूगोल |
| 17 | इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल |
| 18 | समाजशास्त्र, संस्कृत, भूगोल |
| 19 | अर्थशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति शास्त्र |
| 20 | अर्थशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, समाज शास्त्र |
| 21 | अर्थशास्त्र, हिन्दी साहित्य, इतिहास |
| 22 | अर्थशास्त्र, हिन्दी साहित्य, राजनीति शास्त्र |
| 23 | अर्थशास्त्र, हिन्दी साहित्य, समाजशास्त्र |
| 24 | अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र |
| 25 | अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र |
| 26 | अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, संस्कृत |
| 27 | अंग्रेजी साहित्य, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र |
| 28 | हिन्दी साहित्य, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र |
| 29 | हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीति शास्त्र |
| 30 | हिन्दी साहित्य, इतिहास, समाज शास्त्र |
| 31 | हिन्दी साहित्य, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र |
| 32 | इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र |
| 33 | इतिहास, राजनीति विज्ञान, संस्कृत |

| स.कं. | बी.ए. कला समूह |
|-------|---|
| 34 | राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, संस्कृत |
| 35 | अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, संस्कृत |
| 36 | इतिहास, भूगोल, मानव विज्ञान |
| 37 | अर्थशास्त्र, भूगोल, संस्कृत |
| 38 | भूगोल, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान |
| 39 | हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, मानव विज्ञान |
| 40 | अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र |
| 41 | राजनीति विज्ञान, संस्कृत, भूगोल |
| 42 | हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, मानव विज्ञान |
| 43 | अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र |
| 44 | राजनीति शास्त्र, संस्कृत, भूगोल |
| 45 | हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य |
| 46 | मानव विज्ञान, संस्कृत, भूगोल |
| 47 | मानव विज्ञान, संस्कृत, राजनीति विज्ञान |
| 48 | अर्थशास्त्र अंग्रेजी साहित्य, भूगोल |
| 49 | अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, भूगोल |
| 50 | हिन्दी साहित्य, मानव विज्ञान, भूगोल |
| 51 | अंग्रेजी साहित्य, समाज शास्त्र, भूगोल |
| 52 | अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान |
| 53 | हिन्दी साहित्य, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान |
| 54 | हिन्दी साहित्य, इतिहास, मनोविज्ञान |
| 55 | अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान |
| 56 | हिन्दी साहित्य, संस्कृत, भूगोल |
| 57 | हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र |
| 58 | अंग्रेजी साहित्य, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान |
| 59 | राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र |
| 60 | हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान |
| 61 | राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत |
| 62 | समाज शास्त्र, संस्कृत, राजनीति विज्ञान |
| 63 | अर्थशास्त्र, हिन्दी साहित्य, मनोविज्ञान |
| 64 | इतिहास, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान |
| 65 | अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान |
| 66 | राजनीति विज्ञान, भूगोल, मानव विज्ञान |

(स) वाणिज्य संकाय –

| | |
|-------|--|
| स.कं. | बी.कॉम.- कुल सीट-420+100 = 520 |
| 1 | सभी अनिवार्य विषय- प्लेन |
| 2 | सभी अनिवार्य विषय- कम्प्यूटर एप्लीकेशन |

| | |
|-------|--|
| स.कं. | बी.सी.ए.-60 |
| 1 | सभी अनिवार्य विषय |
| 2 | ब्रिज कोर्स (गणित) के साथ सभी अनिवार्य विषय – जिन विद्यार्थियों ने बारहवीं में गणित विषय नहीं लिया है। |

(2) स्नातकोत्तर कक्षाएँ :- सेमेस्टर प्रणाली लागू

| कं. | संकाय | विषय | कुलस्थान | कं. | संकाय | विषय | कुलस्थान |
|-----|-------|-----------------|----------|-----|---------|-----------------|----------|
| 1 | कला | अंग्रेजी | 40 | 1 | विज्ञान | रसायन | 25 |
| 2 | कला | हिंदी | 40 | 2 | विज्ञान | भौतिकी | 25 |
| 3 | कला | अर्थशास्त्र | 40 | 3 | विज्ञान | गणित | 60 |
| 4 | कला | भूगोल | 40 | 4 | विज्ञान | वनस्पति शास्त्र | 25 |
| 5 | कला | राजनीति शास्त्र | 40 | 5 | विज्ञान | प्राणी विज्ञान | 25 |
| 6 | कला | इतिहास | 40 | 6 | विज्ञान | माइक्रोबायलॉजी | 25 |
| 7 | कला | समाजशास्त्र | 40 | 7 | विज्ञान | बायोटेक्नोलॉजी | 25 |
| 8 | कला | एम.एस.डब्ल्यू | 40 | 8 | विज्ञान | भू-विज्ञान | 25 |
| | | | | 9 | कॉमर्स | एम.कॉम | 140 |

सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्स

| कं. | कोर्स / विषय | उपलब्ध सीटें | प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त देय जनभागीदारी मद शुल्क | न्यूनतम योग्यता | अवधि |
|-----|---|--------------|---|-----------------|--------|
| 1 | सर्टिफिकेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट | 20 | 1500/- | बारहवीं | 6 माह |
| 2 | सर्टिफिकेट इन इन्वायरमेंटल साइंस | 20 | 1500/- | बारहवीं | 6 माह |
| 3 | सर्टिफिकेट इन ह्यूमन राइट्स | 20 | 1500/- | बारहवीं | 6 माह |
| 4 | सर्टिफिकेट इन इन्फरमेशन टेक्नोलॉजी | 20 | 1500/- | बारहवीं | 6 माह |
| 5 | सर्टिफिकेट इन कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन | 20 | 1500/- | बारहवीं | 6 माह |
| 6 | सर्टिफिकेट कोर्स इन बिजनेस स्किल | 20 | 1500/- | बारहवीं | 6 माह |
| 7 | पी.जी. डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन एंड फिलॉसफी | 20 | 12000/- एकमुस्त प्रवेश शुल्क अलग से देय होगा | स्नातक | 1 वर्ष |
| 8 | एन.पी.टी.ई.एल एण्ड स्वयं कोर्स हेतु संपर्क करें | | डॉ. सोमाली गुप्ता – 9893081194 डॉ. शकील हुसैन – 8319735275 | | |

रोजगारोन्मुखो / स्ववित्तीय पाठ्यक्रम

(Job Oriented/Self Financing Courses)

| कं. | कोर्स / विषय | उपलब्ध सीटें | प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त देय जनभागीदारी मद शुल्क | न्यूनतम योग्यता | अवधि |
|-----|--|--------------|--|-----------------|-----------------------|
| 1 | एमएससी बायोटेक्नालाजी | 25 | 15000 / - प्रतिवर्ष (एकमुश्त देय) | स्नातक | 2 वर्ष (चार सेमेस्टर) |
| 2 | एमएससी माइक्रोबायलाजी | 25 | 15000 / - प्रतिवर्ष (एकमुश्त देय) | स्नातक | 2 वर्ष (चार सेमेस्टर) |
| 3 | एम लिब आईएससी | 20 | 25000 / - प्रतिवर्ष (एकमुश्त देय) | स्नातकोत्तर | 1 वर्ष (दो सेमेस्टर) |
| 4 | पीजीडीसीए | 150 | 12000 / - प्रतिवर्ष (एकमुश्त देय) | स्नातक | 1 वर्ष (दो सेमेस्टर) |
| 5 | एम.एस.डब्ल्यू (मास्टर ऑफ सोशल वर्क) | 40 | 15000 / - प्रतिवर्ष (एकमुश्त देय) | स्नातक | 2 वर्ष (चार सेमेस्टर) |
| 6 | बी.सी.ए. | 60 | 10000 / - प्रतिवर्ष (एकमुश्त देय) | बारहवीं | 3 वर्ष |
| 7 | बी.लिब. आई एससी | 40 | 12000 / - प्रतिवर्ष (एकमुश्त देय) | स्नातक | 1 वर्ष |
| 8 | बी काम विथ कम्प्यूटर एप्लीकेशन | 100 | 3000 / - प्रतिवर्ष (एकमुश्त देय) | बारहवीं | 3 वर्ष |
| 9 | बी.एससी विथ माइक्रोबायलाजी | 90 | 2000 / - प्रतिवर्ष (एकमुश्त देय) | बारहवीं | 3 वर्ष |
| 10 | बी.एससी विथ बायोटेक्नालाजी | 55 | 3000 / - प्रतिवर्ष (एकमुश्त देय) | बारहवीं | 3 वर्ष |
| 11 | बी.एससी विथ इंडस्ट्रियल केमेस्ट्री (गणित समूह-30 सीटें, बायोलाजी समूह -30 सीटें) | 60 | 1200 / - प्रतिवर्ष (एकमुश्त देय) | बारहवीं | 3 वर्ष |
| 12 | बी.एससी बायोकेमेस्ट्री | 50 | 3000 / - प्रतिवर्ष (एकमुश्त देय) | बारहवीं | 3 वर्ष |
| 13 | बी.एससी विथ कम्प्यूटर साइंस (केवल गणित समूह) | 100 | 3000 / - प्रतिवर्ष (एकमुश्त देय) | बारहवीं | 3 वर्ष |
| 14 | बी.एससी विथ इलेक्ट्रानिक्स (केवल गणित समूह) | 40 | 2000 / - प्रतिवर्ष (एकमुश्त देय) | बारहवीं | 3 वर्ष |

| क | पुरस्कार/पदक का नाम | पात्रता | दानदाता/एलुमनी का नाम |
|----|---|--|--|
| 1. | स्वर्गीय अनिल तामस्कर एवं श्रीमती पद्मावती विश्वनाथ तामस्कर स्मृति स्वर्ण पदक | महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर सभी संकायों में सर्वोत्कृष्ट अंक अर्जित करने वाले नियमित विद्यार्थी को | श्रीमती अलकनंदा तामस्कर एवं परिवार दुर्ग |
| 2. | स्वर्गीय प्रकाश चंद्र माहेश्वरी स्मृति स्वर्ण पदक | महाविद्यालय में अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष में सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाले नियमित विद्यार्थी को | माहेश्वरी परिवार दुर्ग |
| 3. | स्व. निर्मल चन्द्र पाठक स्मृति 10000/- रु. प्रतिवर्ष नकद पुरस्कार | महाविद्यालय के कला संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाले नियमित विद्यार्थी को | श्रीमती निर्मला पाठक दुर्ग |
| 4. | स्व. शीला शर्मा स्मृति 6000/- रु. प्रतिवर्ष नकद पुरस्कार | महाविद्यालय में विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर पर सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाले नियमित विद्यार्थी को | श्री अशोक शर्मा भिलाई |
| 5. | 11000/- वार्षिक नकद पुरस्कार | खेल विधाओं में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी छात्र-छात्राओं की सहभागिता हेतु | महाविद्यालय प्रशासन |
| 6. | डॉ. शुभा गुप्ता स्मृति पदक | विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर अधिकतम अंक प्राप्त | डॉ. शुभा गुप्ता परिवार |
| 7. | डॉ. रामेन्द्र शुक्ला स्मृति पदक | सर्वाधिक अंक स्नातकोत्तर समाजशास्त्र | डॉ. अनीता शुक्ला |
| 8. | डॉ. बलबीर सिंह गुप्ता स्मृति पदक | कला संकाय में सर्वाधिक अंक प्राप्त | डॉ. सुचित्रा गुप्ता |
| 9. | स्व. माता जी की स्मृति में | गरीब विद्यार्थियों को शुल्क प्रदाय | डॉ. अनिल कश्यप |

पीएचडी शोध उपाधि हेतु महाविद्यालय में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग एवं अन्य विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विषयवार शोध निर्देशकों की सूची

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. हिन्दी विभाग | 11. वनस्पति शास्त्र विभाग |
| 1. डॉ. अभिनेष सुराना | 1. डॉ. रंजना श्रीवास्तव |
| 2. डॉ. बलजीत कौर | 2. डॉ. जी.एस.ठाकुर |
| 3. डॉ. कृष्णा चटर्जी | 3. डॉ. प्रज्ञा कुलकर्णी |
| 2. अंग्रेजी विभाग | 4. डॉ. श्रीराम कुंजाम |
| 1. डॉ. कमर तलत | 5. डॉ. सतीष सेन |
| 2. डॉ. सोमाली गुप्ता | 6. डॉ. विजय लक्ष्मी नायडू |
| 3. डॉ. मर्सी जॉर्ज | |
| 4. डॉ. तरलोचन कौर | 12. प्राणीशास्त्र विभाग |
| 3. राजनीति शास्त्र विभाग | 1. डॉ. कांति चौबे |
| 1. डॉ. शकील हुसैन | 2. डॉ. अनिल कुमार |
| 4. इतिहास विभाग | 3. डॉ. दिव्या कुमुदिनी मिंज |
| 1. डॉ. ए.के. पाण्डेय | 4. डॉ. संजू सिन्हा |
| 2. डॉ. ज्योति धारकर | 5. डॉ. अलका मिश्रा |
| 5. अर्थशास्त्र विभाग | |
| 1. डॉ. शिखा अग्रवाल | 13. बायोटेक्नालॉजी विभाग |
| 2. डॉ. ए.के. खान | 1. डॉ. अनिल कुमार |
| 3. डॉ. के. पद्मावती | |
| 6. समाजशास्त्र विभाग | 14. गणित विभाग |
| 1. डॉ. अश्विनी महाजन | 1. डॉ. एम.ए. सिद्दीकी |
| 2. डॉ. सुचित्रा शर्मा | 2. डॉ. पद्मावती |
| 3. डॉ. सपना शर्मा | 3. डॉ. राकेश तिवारी |
| 7. वाणिज्य विभाग | 4. डॉ. प्राची सिंह |
| 1. डॉ. ओ.पी. गुप्ता | |
| 2. डॉ. एस. एन. झा | 15. भूगर्भशास्त्र विभाग |
| 3. डॉ. एच.पी.सिंह सलूजा | 1. डॉ. एस.डी. देशमुख |
| 8. भूगोल विभाग | 2. डॉ. प्रशान्त श्रीवास्तव |
| | |
| 9. भौतिकी विभाग | 16. माइक्रोबायलॉजी विभाग |
| 1. डॉ. पूर्णा बोस | 1. डॉ. रंजना श्रीवास्तव |
| 2. डॉ. जगजीत कौर सलूजा | 2. डॉ. प्रज्ञा कुलकर्णी |
| 3. डॉ. रमाशंकर सिंह | |
| 4. डॉ. अनीता शुक्ला | |
| 4. डॉ. अभिषेक कुमार मिश्रा | |
| 10. रसायन विभाग | |
| 1. डॉ. अनुपमा अस्थाना | |
| 2. डॉ. अल्का तिवारी | |
| 3. डॉ. सुकुमार चटर्जी | |
| 4. डॉ. अनिल कश्यप | |
| 5. डॉ. अजय सिंह | |
| 6. डॉ. अजय पिल्लई | |
| 7. डॉ. सुनीता मैथ्यू | |
| 8. डॉ. प्रेरणा कठाने | |

महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु उपलब्ध संसाधन

1. व्याख्यान कक्ष
2. भौतिकी, रसायन, गणित, वनस्पति शास्त्र, प्राणीशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, माइक्रोबायलाजी, बायोटेक्नालॉजी, कम्प्यूटर साइंस, भूगोल, मनोविज्ञान, विषयों की आधुनिक प्रयोगशालाएं
3. शोध छात्रों हेतु सेंट्रल इंस्ट्रुमेंटेशन लैब, टिशू कल्चर लैब, कम्प्यूटर लैब
4. “लैंग्वेज लैब”, “कामर्स लैब” एवं संस्कृत लैब
5. स्वामी विवेकानंद ऑडियो विजुअल हॉल
6. रवीन्द्रनाथ टैगोर सेमीनार हाल
7. कांफ्रेस हाल
8. डॉ. ए.पी.जे. कलाम स्मार्ट क्लास रूम, सीवी रमन स्मार्ट क्लास रूम, प्रफुल्ल चंद्र राय स्मार्ट क्लास रूम
9. कम्प्यूटरीकृत मुख्य ग्रंथालय (ई-लायब्रेरी), वाचनालय एवं रिफरेन्स रूम
10. मेडिकल इन्वेस्टीगेशन रूम
11. इंडोर बैडमिंटन हाल
12. आऊटडोर खेलों की सुविधा
13. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम
14. महाविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट
15. छात्रसंघ कक्ष
16. गर्ल्स कामन रूम
17. इग्नू अध्ययन केन्द्र
18. मनोवैज्ञानिक परामर्श केन्द्र
19. कैरियर काउंसिलिंग एंड प्लेसमेंट सेल
20. बालक छात्रावास (150 सीटों) की उपलब्धता सहित
21. कन्या छात्रावास
22. वनस्पति उद्यान एवं औषधीय पादप उद्यान
23. महाविद्यालय कैंटीन
24. कॉलेज स्टेशनरी शॉप
25. पार्किंग शेड
26. वाई-फाई कैंपस 100 एमबीपीएस स्पीड/विभाग, एस.एम.एस. अलर्ट सुविधा
27. एन.एस.एस./एन.सी.सी./यूथ रेडक्रास इकाई कार्यालय
28. डिजिटल स्क्रीन डिस्प्ले बोर्ड
29. पं. सुन्दर लाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र
30. ऑनलाईन कोर्सेस NPTEL, SWAYAM, MOOC
31. LAN Connectivity
32. पूर्णतः आटोमेटेड लायब्रेरी

शुल्क विवरण (Fees Details)

महाविद्यालय में प्रवेश पाने वाले छात्र/छात्राओं को महाविद्यालयीन और विश्वविद्यालयीन दो प्रकार के शुल्क देने पड़ेंगे।

| (1) शासकीय शुल्क | | |
|--|---|-----------------|
| 1 | प्रवेश शुल्क | 3.00 |
| 2 | स्टेशनरी शुल्क | 2.00 |
| 3 | शिक्षण शुल्क | 115.00 |
| 4 | प्रायोगिक शुल्क | 20.00 |
| 5 | शोध छात्र/छात्राओं के लिए शिक्षण शुल्क | 150.00 |
| (2) अशासकीय शुल्क | | |
| 1 | छात्रसंघ शुल्क | 2.00 रु. |
| 2 | छात्र सहायता कोष | 5.00 रु. |
| 3 | परिचय पत्र शुल्क | 23.00 रु. |
| 4 | महाविद्यालय विकास शुल्क | 25.00 रु. |
| 5 | सायकल स्टैण्ड शुल्क | 100.00 रु. |
| 6 | सम्मिलित निधि (यूनियन गतिविधियों 20/- तथा क्रीडा 12/-) | 32.00 रु. |
| 7 | स्नेह सम्मेलन शुल्क, युवा उत्सव | 50 रु. |
| 8 | स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क | 3.00 रु. |
| 9 | विभागीय पुस्कालय शुल्क (केवल पीजी के लिए) | 20.00 रु. |
| 10 | पुनः प्रवेश शुल्क (डुप्लीकेट प्रति के लिए) | 10.00 रु. |
| 11 | वाचनालय | 30.00 रु. |
| 12 | विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क (केवल ऑफलाईन के लिए) | 150.00 रु. |
| 13 | प्रवजन शुल्क (केवल एक बार) (छ.ग. के बाहर के आवेदकों के लिए) | 300.00 रु. |
| 14 | शारीरिक कल्याण शुल्क | 20.00 रु. |
| 15 | खेलकूद मद | 150.00 रु. |
| 16 | आंतरिक परीक्षा शुल्क प्रवेश के समय अनिवार्यतः देय | 50.00 रु. |
| 17 | यूथ रेड कॉस शुल्क | 25.00 रु. |
| 18 | महाविद्यालय वार्षिक पत्रिका तथा न्यूजलेटर शुल्क | 50.00 रु. |
| (3) सुरक्षा निधि (Caution Money) :- (महाविद्यालय छोड़ने पर वापस की जाती है) | | |
| 1 | बी.ए., बी.कॉम. एव बी.एस.सी. बी.सी.ए., बी. लिब., आईएससी (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय) | 60.00 |
| 2 | एम.ए., एम.कॉम, एम.एस.सी. (पूर्व एवं अंतिम) नये विद्यार्थी इसी महा.के.विद्यार्थी | 100.00 40.00 |
| 3 | शोध छात्र | 150.00 |
| (4) जनभागीदारी शुल्क :- | | |
| | कला/वाणिज्य संकाय | 400.00 |
| | विज्ञान संकाय एवं मनोविज्ञान, मानव विज्ञान भूगोल के लिए | 400.00 |

(5) स्वशासी योजना के अंतर्गत परीक्षा एवं अन्य शुल्क जो कि अक्टूबर/नवम्बर माह में या महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय पर देय होगा, जो निम्नानुसार है :-

| कं. | मद | नियमित | भूतपूर्व |
|-----|--|--------|----------|
| 1 | पंजीयन शुल्क (प्रथम प्रवेश के समय एक बार लिया जायेगा। | 100 | --- |
| 2 | परीक्षा आवेदन शुल्क | 50 | --- |
| 3 | परीक्षा शुल्क | | |
| | 1. बी.ए./बी.काम/डिप्लोमा (गैर प्रायोगिक) | 500 | 600 |
| | 2. बी.ए./बी.काम/डिप्लोमा (प्रायोगिक) | 600 | 650 |
| | 3. बी.एस.सी./डिप्लोमा | 600 | 650 |
| | 4. एम.ए./एम.एससी/पीजी डिप्लोमा (गैर प्रायोगिक) प्रति सेमेस्टर | 600 | 650 |
| | 5. एम.ए./एस.एससी/पीजी डिप्लोमा (प्रायोगिक)/एमएसडब्ल्यू प्रति सेमेस्टर | 750 | 650 |
| | 6. एम.कॉम (प्रति सेमेस्टर) | 600 | 650 |
| | 7. एड ऑन कोर्स | 400 | 450 |
| | 8. लघु शोध प्रबंध | 300 | .. |
| | 9. अंक सूची | 50 | .. |
| | 10. पूरक परीक्षा शुल्क (स्नातक) | 300 | 400 |
| 4 | पुनर्गणना आवेदन पत्र | 10 | .. |
| 5 | पुनर्गणना प्रति विषय | 50 | .. |
| 6 | पुनर्गणना सभी विषय | 250 | .. |
| 7 | पुनर्मूल्यांकन (केवल स्नातक स्तर हेतु) प्रति प्रश्न पत्र (अधिकतम दो प्रश्न पत्र) | 200 | .. |
| 8 | अंकसूची द्वितीय प्रति | 100 | .. |
| 9 | अंक सूची में सुधार हेतु शुल्क (परिणाम घोषित होने के एक माह पश्चात्) | 50 | 50 |
| 10 | प्राविधिक प्रमाण पत्र | 50 | .. |
| 11 | परीक्षार्थी के नाम परिवर्तन शुल्क (सम्पूर्ण वैधानिक कार्यवाही सहित) | 200 | .. |

नोट :- 1. उपरोक्त शुल्क में परिवर्तन किया जा सकेगा।

2. सभी शुल्क प्रवेश के समय एक साथ देने होंगे (परीक्षा शुल्क छोड़कर)।

3. शुल्क जमा करते समय प्रवेश पत्र एवं परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. परीक्षा शुल्क का निर्धारण स्वशासी प्रकोष्ठ की वित्त समिति द्वारा किया जाएगा।

5. महाविद्यालय द्वारा अपात्र घोषित विद्यार्थी को छोड़कर परीक्षा फीस किसी प्रकरण में वापस नहीं होगी।

सत्र 2020-21 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थियों द्वारा जमा की जाने वाली कुल फीस का विवरण

* यह फीस का विवरण सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों हेतु लागू होगा। एस.सी./एस.टी./छात्राओं के शुल्क में ट्यूशन फीस 115 रु. नहीं लगेगी अर्थात् कुल जमा की जाने वाली फीस राशि में से 115 रु. घटाकर उपरोक्त वर्ग के विद्यार्थी फीस जमा करेंगे। छात्राओं से प्रयोगशाला फीस मात्र 5 रु. ली जावेगी।

* मानव विज्ञान/मनोविज्ञान/भूगोल विषय के विद्यार्थियों को प्रयोगशाला शुल्क 20 रु. भुगतान करना होगा।

* अन्य महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं से काशन मनी (अवधान राशि) 100 रु. स्नातकोत्तर छात्र-छात्राओं से ली जावेगी।

* छ.ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालय/बोर्ड से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं से नामांकन शुल्क 150 रु. तथा माइग्रेशन शुल्क 300 रु. लिया जायेगा।

* उपरोक्त शुल्क राशि के अतिरिक्त स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों वाले विद्यार्थियों को पृथक से जनभागीदारी शुल्क राशि अदा करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में विवरणिका में दर्शायी गयी जानकारी का अवलोकन किया जा सकता है।

| कं. | कक्षा | जमा की जाने वाली शुल्क राशि | |
|-----|---|-----------------------------|-----------|
| | | छात्र | छात्रा |
| 1 | बी.ए. प्रथम/बी.कॉम प्रथम | 1295 रु. | 1180 रु. |
| 2 | बी.ए. द्वितीय/बी.कॉम द्वितीय | 1135 रु. | 1020 रु. |
| 3 | बी.ए. तृतीय/बी.कॉम तृतीय | 1135 रु. | 1020 रु. |
| 4 | बी.एससी प्रथम | 1315 रु. | 1180 रु. |
| 5 | बी.एससी द्वितीय | 1155 रु. | 1020 रु. |
| 6 | बी.एससी तृतीय | 1155 रु. | 1020 रु. |
| 7 | एम.ए./एम.कॉम (प्रथम सेमेस्टर)/ एम.एससी गणित (प्रथम सेमेस्टर) | 1315 रु. | 1180 रु. |
| 8 | एम.ए./एम.कॉम (तृतीय सेमेस्टर)/ एम.एससी गणित (तृतीय सेमेस्टर) | 1175 रु. | 1040 रु. |
| 9 | एम.एससी (प्रथम सेमेस्टर) सभी विषय | 1315 रु. | 1180 रु. |
| 10 | एम.एससी (तृतीय सेमेस्टर) सभी विषय | 1175 रु. | 1040 रु. |
| 11 | आई. टी. | 1815 रु. | 1680 रु. |
| 12 | पीजीडीसीए, बी.लिंब योगा एवं एम.एस.डब्ल्यू | 13315 रु. | 13180 रु. |
| 13 | बी.सी.ए. प्रथम वर्ष | 11315 रु. | 11180 रु. |
| 14 | एम.एस.सी. पूर्व बायोटेक एवं माइक्रोबायलॉजी | 16315 रु. | 16180 रु. |
| 15 | एम. लिब. | 26315 रु. | 26180 रु. |

शुल्क संबंधी रियायतें

शुल्क संबंधी निम्नलिखित रियायतें केवल पूर्णकालीन छात्र/छात्राओं को ही मिल सकेंगी। इसके अंतर्गत सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर केवल शिक्षण शुल्क में ही रियायत दी जाती है, अन्य शुल्क यथावत देने पड़ते हैं। इस नियम के अधीन निम्नलिखित रियायतें मिलती है :-

1. स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रायें शिक्षण शुल्क (Tution Fee) एवं प्रायोगिक शुल्क के भुगतान से मुक्त हैं।
2. स्नातकोत्तर स्तर तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र शिक्षण शुल्क (Tution Fee) के भुगतान से मुक्त हैं।
3. स्नातक स्तर तक तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारी के पुत्र/पुत्रियों शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्त हैं। (प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)
4. भूतपूर्व सैनिक के पुत्र-पुत्री स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्त हैं।
5. राजनीतिक पीड़ितों के पुत्र/पुत्रियों को यदि कोई भी छात्रवृत्ति नहीं मिलती हो तो वे शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्त होंगे।
6. यदि दो या दो से अधिक सगे भाई इस महाविद्यालय में एक ही सत्र में अध्ययन करते हैं, उनमें से बड़े भाई को शासकीय शुल्क पूर्ण देय होगा, शेष को आधा शुल्क देय होगा।

अतिरिक्त प्रायोगिक कक्षाओं हेतु अमहाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं के लिए शुल्क
बी.ए., बी.एस.सी. प्रायोगिक विषयों में प्रवेश पाने वाले अमहाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं के लिए प्रत्येक सत्र में विशेष प्रायोगिक कक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इन कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय का प्रवेश फार्म भरना होगा तथा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। प्रायोगिक विषयों में अमहाविद्यालयीन छात्र/छात्राओं को प्रवेश सितम्बर माह में दिया जायेगा।

1. बी.एस.सी. (तीनों वर्ष) – जीव विज्ञान समूह (तीन विषय) – 210/-
2. बी.एस.सी. (तीनों वर्ष) – गणित समूह (दो विषय) – 330/-
3. बी.ए. (तीनों वर्ष) – भूगोल/एक विषय (मानव विज्ञान, मनोविज्ञान) – 450/-

* अतिरिक्त प्रायोगिक कक्षाओं में प्रवेश की सुविधा स्नातकोत्तर छात्र-छात्राओं के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

** विश्वविद्यालय द्वारा समयानुसार शुल्क में परिवर्तन किया जा सकता है।

महाविद्यालय छात्रावास में प्रवेश शुल्क का विवरण

सत्र 2020-21 में महाविद्यालय छात्रावास में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए जाने वाले शुल्क का विवरण निम्नानुसार है :-

| कं. | विवरण | वर्तमान शिक्षण सत्र में छात्रावास में नवप्रवेशित छात्रों से | भूतपूर्व (छात्रावास में पूर्व प्रवेशित) छात्रों से |
|-----|---|---|--|
| 1 | छात्रावास भोजन के लिए जमानत राशि | 1200.00 | निरंक |
| 2 | छात्रावास कमरे का अधिभार | 100.00 | 100.00 |
| 3 | छात्रावास अमानती राशि | 500.00 | निरंक |
| 4 | छात्रावास में बिजली तथा अन्य प्रभार की राशि | 1700.00 | 1700.00 |
| 5 | छात्रावास विकास राशि | 500.00 | 500.00 |
| 6 | वाचनालय शुल्क | 400.00 | 400.00 |
| | कुलयोग | 4400.00 | 2700.00 |

छात्रावास में प्रवेश हेतु नियम एवं शर्तें

1. छात्रावास में केवल एक ही शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश दिया जाता है अतएव प्रत्येक सत्र में नवीन आवेदन करना होगा।
2. छात्रावास अधीक्षक के द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का छात्र पालन करेंगे।
3. छात्रावास में छात्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति के ठहरने की अनुमति नहीं है। इसका उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर अर्थदण्ड से लेकर निष्कासन की कार्यवाही हेतु अधीक्षक अधिकृत होंगे।
4. रैगिंग की गतिविधियों में संलग्न पाये जाने पर छात्र, छात्रावास से तत्काल निष्कासन एवं दण्ड के भागीदार होंगे।
5. छात्रावास में तम्बाकू, गुटखा, शराब, सिगरेट एवं अन्य नशील पदार्थों का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
6. कमरे का आबंटन निर्धारित शुल्क की रसीद छात्रावास अधीक्षक को दिखाने के बाद किया जावेगा।
7. छात्रावास में प्रवेशित छात्र यदि परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसका छात्रावास से प्रवेश स्वयमेव निरस्त हो जायेगा।
8. छात्र को छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य सुविधाओं जैसे- कूलर, हीटर, कम्प्यूटर, इत्यादि के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी।

स्वशासी परीक्षा प्रणाली हेतु सामान्य निर्देश

सत्र 2006-07 से सभी एम.ए./एम.कॉम/एम.एससी. की कक्षाओं में सेमेस्टर प्रणाली शासन द्वारा लागू की गई है। सभी स्नातकोत्तर कक्षाओं का पाठ्यक्रम चार सेमेस्टर में पूर्ण होगा। इस तरह दो वर्षों में कुल 04 सेमेस्टर देने के पश्चात् ही छात्र-छात्राएँ स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करेंगे। पीजीडीसीए एवं एम.लिब आईएससी के पाठ्यक्रम एक वर्ष अर्थात् दो सेमेस्टर में पूर्ण होंगे।

नियम :-

- (1) स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आंतरिक मूल्यांकन एवं सैध्दांतिक प्रश्न पत्रों में अहर्ताक (Qualifying marks) 20% अर्थात् 20 में से 04 तथा 80 में से 16 अंक पृथक-पृथक प्राप्त करना अनिवार्य है।
- (2) स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सैध्दांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में पृथक-पृथक रूप से कुल 36% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
- (3) अधिकतम तीन अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्रों में ATKT (Allowed To Keep Term) की पात्रता होगी जिसके लिये मुख्य सेमेस्टर परीक्षा के अतिरिक्त केवल दो ही अवसर दिये जायेंगे।
- (4) प्रथम सेमेस्टर में बैकलॉग/ATKT (Allowed To Keep Term) आने पर द्वितीय सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा में शामिल होने की पात्रता होगी।
- (5) किसी भी सेमेस्टर परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर/ATKT आने पर अगली सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के साथ आयोजित परीक्षा में First Chance की पात्रता होगी। इसमें पुनः अनुत्तीर्ण होने/ATKT होने पर अगली परीक्षा में मुख्य परीक्षा के साथ Last Chance की पात्रता होगी।
- (6) प्रथम अथवा द्वितीय अथवा तृतीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण/ATKT होने पर चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम रोक दिया जाएगा। अंतिम प्रयास (Last Chance) के अंतर्गत पूर्व सेमेस्टर्स की परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल होने पर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा स्वयमेव निरस्त हो जाएगी।
- (7) ATKT (Allowed To Keep Term) प्राप्त प्रश्न पत्रों में आंतरिक मूल्यांकन के पूर्व में प्राप्त अंक ही मान्य होंगे।
- (8) स्नातकोत्तर सेमेस्टर परीक्षा में ATKT प्राप्त परीक्षार्थियों के द्वारा अर्जित किए गए उत्तीर्ण प्रायोगिक परीक्षा के अंक यथावत मान्य होंगे।
- (9) स्नातकोत्तर स्तर पर पुनर्मूल्यांकन की सुविधा नहीं होगी, लेकिन पुनर्गणना की अनुमति होगी। स्नातक परीक्षाओं के लिए पुनर्मूल्यांकन तथा पुनर्गणना की सुविधा यथावत है।
- (10) स्नातक स्तर की परीक्षा में दो से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी को पुनर्मूल्यांकन की पात्रता नहीं होगी।
- (11) स्नातकोत्तर सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम ग्रेडिंग पध्दति से जारी किया जाएगा। इसके अनुसार उनकी अंकसूची में ग्रेड प्वाइंट्स (SGPA तथा CGPA) एवं क्रेडिट प्वाइंट्स का उल्लेख किया जाएगा।
- (12) B.C.A. के वे छात्र जिन्होंने 12 वीं की परीक्षा में गणित समूह नहीं लिया था, उन्हें ब्रिज कोर्स की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
- (13) स्नातक प्रथम वर्ष में 'पर्यावरण अध्ययन एवं मानव अधिकार' प्रश्न पत्र उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। 'पर्यावरण अध्ययन एवं मानव अधिकार' विषय अनिवार्य विषय है, जिसमें अनुत्तीर्ण होने पर स्नातक स्तर भाग-एक के छात्र/छात्राओं को एक अन्य विषय के साथ पूरक की पात्रता होगी। पर्यावरण अध्ययन के सैध्दांतिक एवं फील्ड वर्क के संयुक्त रूप से 33% (तीस प्रतिशत) अंक उत्तीर्ण होने के लिये अनिवार्य होंगे।
- (14) परीक्षा में या उससे संबंधित किसी भी प्रकार का अनुचित लाभ लेने तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जाएगा।
- (15) स्नातकोत्तर के प्रत्येक छात्र को सतत आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में बैठना अनिवार्य है। सेमेस्टर परीक्षा परिणाम में 20 प्रतिशत अंक आंतरिक मूल्यांकन तथा 80 प्रतिशत बाह्य परीक्षा के प्राप्तांक जोड़े जायेंगे। अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षा में सम्मिलित न हो पा सकने की स्थिति में स्वस्थ होने के उपरांत मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने तथा प्राचार्य की अनुमति होने पर परीक्षा देनी होगी।

- (16) स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को पीजीडीसीए में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (17) उच्चशिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन/दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के निर्देशानुसार सत्र 2020-21 से स्नातक स्तर के सभी संकायों के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को आंतरिक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। इन परीक्षाओं के 10 प्रतिशत अंक मुख्य वार्षिक परीक्षा के अंकों के साथ जोड़कर परीक्षाफल घोषित किया जायेगा।

पाठ्येत्तर गतिविधियाँ

विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए महाविद्यालय में नियमित रूप से निम्नलिखित पाठ्येत्तर गतिविधियों का संचालन किया जाता है। अकादमिक कैलेंडर में विभिन्न आयोजनों की समय सारणी का अवलोकन किया जा सकता है :-

1. **इंडक्शन कार्यक्रम** – महाविद्यालय में नवप्रवेशित विद्यार्थियों को महाविद्यालय से संबंधित समस्त जानकारी प्रदान करने हेतु अगस्त माह में इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।
2. **क्रीडा** :- प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित क्रीडा समिति खेल गतिविधियों का संचालन करती है। शासन द्वारा खेल प्रशिक्षण हेतु एक राजपत्रित क्रीडा अधिकारी की नियुक्ति की गई है। महाविद्यालय में निम्नलिखित खेलों का प्रशिक्षण व संचालन किया जाता है :-
 - (क) आउटडोर :- 1. हॉकी 2. फुटबॉल 3. क्रिकेट 4. बास्केटबॉल
5. बैडमिंटन 6. कबड्डी 7. खो-खो 8. हैण्डबॉल
9. नेट बॉल 10. वॉलीबॉल 11. बॉल बैडमिंटन
 - (ख) इनडोर :- 1. टेबल टेनिस 2. कैरम 3. शतरंज
3. **एन.सी.सी.** :- महाविद्यालय में विद्यार्थियों को सैनिक जीवन व अनुशासन की शिक्षा देने के लिए छात्र सेना की व्यवस्था की गई है। सम्प्रति महाविद्यालय में छात्र व छात्राओं की पृथक दो कंपनियों है जिन्हें सेना के कुशल अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। ये प्रशिक्षित विद्यार्थी पर्वतीय प्रशिक्षण, आर्मी अटैचमेंट शिविर, राष्ट्रीय एकता शिविर गणतंत्र दिवस परेड आदि कार्यक्रमों में सफलता व विशेष यश अर्जित कर महाविद्यालय को गौरवान्वित करते हैं।
4. **राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)** – छात्र-छात्राओं को रचनात्मक समाज सेवा व जनकल्याण कार्यों का प्रशिक्षण देने के ध्येय से स्थापित एन.एस.एस. की दो सक्रिय ईकाइयों महाविद्यालय में कार्यरत है। ब्लड डोनेशन, सोशल अवेयरनेस कैम्प, स्वास्थ्य कैम्प, वृक्षारोपण व ग्राम सेवा जैसे समाज सेवा के कार्यों द्वारा विद्यार्थी अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर महाविद्यालय के लिए यश अर्जित करते हैं। एन.एस.एस. की दो यूनिट में लगभग 300 छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है।
5. **व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम** – महाविद्यालय के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु हर शनिवार महाविद्यालय सभागार में तात्कालिक भाषण, क्विज, पोस्टर/स्लोगन, निबंध आदि प्रतियोगिताएं कक्षावार आयोजित की जाती है। समय-समय पर विषय विशेषज्ञों द्वारा सामान्य ज्ञान, व्यक्तिगत विकास, इंटरव्यू कम्प्यूनिकेशन स्किल, योग नागरिक सुरक्षा आदि से संबंधित वर्कशाप/सेमीनार आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय के सूचना पटल पर आयोजन संबंधी जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। इन कार्यक्रमों से महाविद्यालय का शैक्षणिक वातावरण रोचक व उत्साहवर्धक बना रहता है तथा विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता मिलती है।
6. **स्टडी सर्कल** :- विद्यार्थियों में पठन-पाठन में रुचि जागृत करने, सामान्य ज्ञान बढ़ाने तथा देश विदेश, अर्थव्यवस्था, राजनीति व विज्ञान के ताजा परिवर्तनों से उन्हें अवगत कराने हेतु महाविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा व्याख्यान, सेमीनार, वर्कशाप समरकोर्स, ओलंपियार्ड, राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किए जाएंगे। इस योजना से विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता मिलेगी। महाविद्यालय में स्नातकोत्तर विभागों में विद्यार्थियों हेतु सेट/नेट परीक्षाओं की तैयारी संबंधी मार्गदर्शन हेतु विशेष प्रशिक्षण कक्षाएँ आयोजन का प्रयास जारी है।
7. **कैरियर काउंसिलिंग एण्ड प्लेसमेंट सेल** :- विगत कई वर्षों से महाविद्यालय का प्लेसमेंट सेल विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा कैंपस इंटरव्यू आयोजित कर विद्यार्थियों को रोजगार सुलभ करवाने हेतु कार्यरत है। विप्रो, आई.सी.आई.सी.आई., एच.डी.एफ. सी. बजाज एलाएन्स, एपेक्स केमिकल्स, बाल्को, एशियन पेंट्स, वेदांता समूह, एल एण्ड टी, महेन्द्रा फायनेंस आदि कई बड़ी कंपनियों के अब तक कैंपस इन्व्यू आयोजित किए हैं, जिनसे अनेक विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

8. **युवा उत्सव/सांस्कृतिक समिति** :- साहित्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियों में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए चित्रकला, गीत, नृत्य, नाटक, एकल अभिनय, काव्य पाठ, निबंध लेखन, आदि की चयन प्रतियोगिताएं अगस्त/सितम्बर के बीच आयोजित की जाती हैं। चयनित विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय तथा पूर्वी क्षेत्र अंतर्महाविद्यालयीन युवा उत्सव में भेजा जाता है।
9. **यूथ रेड क्रास सोसायटी** :- विद्यार्थियों में मानव सेवा का भाव जागृत करने हेतु महाविद्यालय में यूथ रेडक्रास सोसायटी की इकाई संचालित है। इसकी गतिविधियों में रक्तदान शिविर, ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान आयोजित करना प्रमुख है।
10. **फिल्म सोसायटी** :- महाविद्यालय में विद्यार्थियों की अभिनय कला को उभारने तथा शिक्षाप्रद फिल्मों को दिखाने के उद्देश्य से फिल्म सोसायटी गठित की गई है।
11. **हेल्प डेस्क** :- 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण स्नातकोत्तर पूर्व कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को महा. संबंधी मार्गदर्शन करने हेतु महाविद्यालय मुख्य प्रशासनिक भवन में हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है।
12. **मनोवैज्ञानिक परामर्श केन्द्र** :- विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं के निराकरण हेतु महाविद्यालय में समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मनोवैज्ञानिक परामर्श केन्द्र स्थापित किया गया है। छात्र-छात्रायेँ कार्यालयीन दिवस में मनोविज्ञान विभाग में स्थापित इस केन्द्र के प्राध्यापकों से प्रातः 11.00 से 1.00 बजे के मध्य सम्पर्क कर अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं।
13. **महिला प्रकोष्ठ**— कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा एवं कानूनी जानकारी तथा महिलाओं से संबंधित गतिविधियाँ।
14. **छात्रवृत्ति समिति** — सभी प्रकार की छात्रवृत्ति की जानकारी विद्यार्थियों तक उपलब्ध कराना।
15. **विशाखा एवं कार्यस्थल उत्पीड़न निवारण समिति** — कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करने जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन करना।
16. **शिकायत एवं समस्या निवारण समिति** — विद्यार्थियों की समस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित निराकरण करना।
17. **स्वच्छता समिति** — स्वच्छ एवं स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करना एवं विद्यार्थियों में उसके प्रति जागरूकता पैदा करना।
18. **शिक्षक विद्यार्थी एसोसिएशन** — विद्यार्थियों के बारे में पूरी जानकारी रखना एवं समय-समय पर उनकी कौसिलिंग करना एवं समस्याओं का समाधान तथा मार्गदर्शन देना।
19. **निर्धन विद्यार्थी सहायता समिति** — आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों का जिन्हें किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती उन्हें अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।
20. **शिक्षक, कर्मचारी वेलफेयर सोसायटी** — शिक्षकों एवं कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर उनके कल्याण हेतु सहायता करना।
21. **एण्टी रैगिंग समिति** — महाविद्यालय में रैगिंग रोकने व छात्रों को स्वतंत्र तथा भय मुक्त वातावरण में शिक्षा का अवसर प्रदान करना।
22. **समान अवसर प्रकोष्ठ** — महाविद्यालय में विद्यार्थियों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से शिक्षा तथा अन्य सभी गतिविधियों में अवसर प्रदान करना।
23. **परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रकोष्ठ** — विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम तथा विषय चयन एवं अन्य समस्याओं पर मार्गदर्शन प्रदान करना।
24. **साहित्यिक एवं नाट्य समिति** — विद्यार्थियों में साहित्यिक, सांस्कृतिक अभिरुचि पैदा करना लेखन तथा अभिनय कौशल के विकास हेतु प्रेरित करना।
25. **यलो लाइन कैम्पेन (महानिषेध) समिति** — विद्यार्थियों को सभी प्रकार के नशे से दूर रहने व नशीले पदार्थों का स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव के संबंध में जागरूकता प्रदान करना।

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता :-

1. प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. कुल 7 आंतरिक परीक्षाओं में से कम से कम 5 में सम्मिलित होना आवश्यक है।
3. एन.सी.सी./एन.एस.एस कैम्प/खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जावेगा।
4. उपस्थिति की प्रथम गणना 31.10.2021 तक की जावेगी।
5. कम उपस्थिति वाले छात्रों को तथा उनके पालकों को सूचना दी जावेगी।
6. उपस्थिति की द्वितीय गणना 15.02.2022 तक की जावेगी।

शैक्षणिक सत्र 2021–22 का अकादमिक कैलेंडर (शासन द्वारा निर्धारित)

1. प्रवेश प्रक्रिया (प्राचार्य का अधिकार)
 - अ. स्नातक प्रथम वर्ष हेतु – 02.08.2021 से 31.08.2021
 - ब. अन्य कक्षाओं हेतु – परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के

अंदर

2. कुलपति की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि – 15.09.2021
3. नियमित कक्षाएँ प्रारंभ – 02.08.2021 (नवीनीकरण विद्यार्थियों हेतु)
01.09.2021 (नवीन विद्यार्थियों हेतु)
4. वार्षिक परीक्षा परिणामों की घोषणा – परीक्षा पूर्णता के 15 दिन के अंदर
5. पुनर्मूल्यांकन के सभी परिणामों की घोषणा – 30.9.2021
6. पूरक परीक्षा का आयोजन – न्यूनतम समय में
7. पूरक परीक्षा के परिणामों की घोषणा – 30.10.2021

छात्रसंघ गतिविधियाँ :-

1. छात्रसंघ गठन चुनाव प्रक्रिया एवं शपथ ग्रहण – 21.09.2021 से 30.9.2021
(विषम परिस्थितियों में शासन के निर्देश मान्य होंगे)

खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ :-

1. खेलकूद प्रतिस्पर्धा प्रारंभ (इंडोर आउटडोर)
 2. खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं का समापन (इंडोर आउटडोर)
 3. महाविद्यालय स्तर पर खेलकूद (इंडोर, आउटडोर) का वार्षिक आयोजन एवं पुरस्कार वितरण
- (विषम परिस्थितियों में शासन के निर्देश मान्य होंगे)

एन.सी.सी./एन.एस.एस एवं अन्य गतिविधियाँ :-

1. वृक्षारोपण कार्यक्रम – जुलाई 2021 का द्वितीय सप्ताह
2. एनसीसी एवं एनएसएस कैम्प – 25.10.2021 से 31.12.2021 के मध्य
3. महाविद्यालय स्तर पर वार्षिकोत्सव का आयोजन – 21, 22 एवं 23 दिसंबर 2021 में से कोई एक दिन
4. दीक्षांत समारोह – फरवरी 2021

विभिन्न अवकाश

1. दशहरा अवकाश (3 दिन) – 14.10.2021 से 16.10.2021 तक
2. दीपावली अवकाश (5 दिन) – 03.11.2021 से 06.11.2021 तक
3. शीतकालीन अवकाश (4 दिन) – 23.12.2021 से 25.12.2021 तक
4. ग्रीष्मकालीन अवकाश (15 दिन) – 16.06.2022 से 30.06.2022 तक

आंतरिक परीक्षाओं का कार्यक्रम :-

1. प्रथम यूनिट परीक्षा – 05.10.2021
2. द्वितीय यूनिट परीक्षा – 03.11.2021
3. प्रथम सत्र परीक्षा – 01 से 03 दिसंबर 2021
4. तृतीय यूनिट परीक्षा – 05.01.2022
5. द्वितीय सत्र परीक्षा – 20 से 22 जनवरी 2022
6. चतुर्थ यूनिट परीक्षा – 08.02.2022
7. प्री-फाइनल परीक्षा – 22, 23 एवं 24 फरवरी 2022

वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम

1. वार्षिक प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन – 26.03.2022 से 09.04.2022
2. वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन – 16.04.2022 से 15.06.2022

अध्यापन कार्य दिवस (सामान्य अवकाश छोड़कर) :- 180

Govt. V.Y.T. PG Autonomous College, Durg (C.G.)
Important Days for Celebration in College (Year - 2021-22)

| S. No. | Date | Name of Day | Organising Dept. |
|--------|-------------|---|--|
| 1 | 5-Jul-2021 | World Environment Day | Economics |
| 2 | 7-Jul-2021 | Vishwanath Yadav Tamaskar Jayanti | IQAC |
| 3 | 11-Jul-2021 | World Population Day | Economics |
| 4 | 22-Jul-2021 | International Mangrove Day | Botany |
| 5 | 28-Jul-2021 | World Nature Conservation Day | Botany zoology |
| 6 | 31-Jul-2021 | Birth Anniversary of Munshi Premchand | Hindi |
| 7 | 9-Aug-2021 | Vishwa Adivasi Diwas | Anthropology |
| 8 | 12-Aug-2021 | Vikram Sarabhai Jayanti | Physics |
| 9 | 12-Aug-2021 | Dr. Ranganthan's Jayanti | Library Science |
| 10 | 15-Aug-2021 | Independence Day | IQAC |
| 11 | 22-Aug-2021 | Birth Anniversary of Harishankar Parsaai | Hindi |
| 12 | 5-Sep-2021 | Teacher's Day | Physics, Chemistry, English |
| 13 | 7-Sep-2021 | Vishwanath Yadav Tamaskar Punyatithi | IQAC |
| 14 | 14-Sep-2021 | Rajbhasha Hindi Diwas | Hindi |
| 15 | 16-Sep-2021 | World Ozone Day | Physics |
| 16 | 17-Sep-2021 | International Microorganism Day | Microbiology |
| 17 | 2-Oct-2021 | Gandhi Jayanti | IQAC |
| 18 | 10-Oct-2021 | World Mental Health Day | Psychology |
| 19 | 15-Oct-2021 | Dr. APJ Abdul Kalam Jayanti | Physics |
| 20 | 15-Oct-2021 | Hand Hygiene Day | Microbiology |
| 21 | 16-Oct-2021 | World Food Day | Microbiology |
| 22 | 30-Oct-2021 | Homi Jahangir Bhabha Jayanti | Physics |
| 23 | 7-Nov-2021 | Dr. C.V. Raman Jayanti | Physics |
| 24 | 13-Nov-2021 | Birth Anniversary of Muktibodh | Hindi |
| 25 | 30-Nov-2021 | J C Bose Jayanti | Physics |
| 26 | 1-Dec-2021 | World AIDS day | Microbiology |
| 27 | 2-Dec-2021 | National Pollution Prevention day | Microbiology |
| 28 | 1-Jan-2022 | S N Bose Jayanti | Physics |
| 29 | 10-Jan-2022 | World Hindi Day | Hindi |
| 30 | 26-Jan-2022 | Republic Day | IQAC |
| 31 | 3-Feb-2022 | World Anthropology Day | Anthropology |
| 32 | 21-Feb-2022 | International Mother Language Day | Hindi |
| 33 | 28-Feb-2022 | National Science Day | All Science Departments |
| 34 | 15-Mar-2022 | World Consumer Right Day | Economics |
| 35 | 21-Mar-2022 | World Forestry day | Botany |
| 36 | 22-Mar-2022 | World Water Day | Economics |
| 37 | 22-Apr-2022 | Earth Day | Physics, Geology |
| 38 | 23-Apr-2022 | Shakespeare's Day | English |
| 39 | 5-May-2022 | Rabindranath Tagore Jayanti | English |
| 40 | 22-May-2022 | International Day for Biological Diversity | All Life Science departments |
| 41 | 31-May-2022 | World No-Tobacco Day | Psychology |
| 42 | 5-Jun-2022 | World Environment Day | Physics, Chemistry, Botany, Zoology, Microbiology, Biotechnology |
| 43 | 21-Jun-2022 | International Yoga Day | IQAC, Yoga Department |
| 44 | 26-Jun-2022 | International Anti Drug Day and International Day Against Drug Abuse and Elicit Trafficking | Microbiology |
| 45 | 27-Jun-2022 | World Microbiome day | Microbiology |
| 46 | 16-Feb-2022 | Birth Anniversary of Suryakant Tripathi Nirala | Hindi, |
| 47 | 21-Feb-2022 | Basant Panchami | Hindi, English |

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत 2021–22

1. प्रयुक्ति :-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 06 एवं 07 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2 प्रवेश की तिथि :-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना : -

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु ऑनलाईन फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किए जायेंगे। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि ऑफ लाईन आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किए जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 1 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 15 सितंबर तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 1 अगस्त से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जावेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से दस दिन तक अथवा विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से पन्द्रह दिन तक जो भी पहले, मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरण होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये, किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं आवेदक का प्रवेश अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक (क) ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान (ब) में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक (ख) ने स्थान (अ) के जहाँ उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया, किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी, किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

- 3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या सीट के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं में छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं, तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा “उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्चशिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।”
- 3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (न्यूनतम 02 सेक्शन अधिकतम 05 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिये अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :-

- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहाँ अधिभार देय है वहाँ अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किए जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूलप्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर “प्रवेश दिया गया” की मुहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिए।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूलप्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- (एक सौ रूपये) अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा। तथापि ऐसे प्रकरणों में 15 सितम्बर के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में, निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट, जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- 4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहाँ कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- 4.7 राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है, उक्त निर्देशों का पालन किया जाये।

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

- (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी, जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जायें।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एससी. (गृहविज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय के उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यावसायिक पाठ्यक्रम से 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी, परंतु यदि अभ्यर्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो, तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अर्थात् बी.एससी (बायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों में क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

- (क) बी.काम./बी.एससी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम. कॉम/एम.एससी (गृह विज्ञान)/एम.ए. प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर बी.एससी, उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एससी/एम.ए.–प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व –भूगोल में उन्ही विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी, जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होंगे।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पध्दति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ATKT (Allowed to Keep Terms) नियम –
1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्राविधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्राविधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
 2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ATKT (Allowed to Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्राविधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

- (क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45 प्रतिशत (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति हेतु 40 प्रतिशत) होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग 42 प्रतिशत होगी तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाध्द में 55 प्रतिशत अंक अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 50 प्रतिशत) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. समकक्ष परीक्षा :-

- 6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन काउंसिल फॉर सेकेण्डरी एजुकेशन (आईसीएसई) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इण्टरमीडियट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएँ माध्यामिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

- 6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ़ युनिवर्सिटी) के सदस्य है, उनकी समस्त परीक्षाएँ छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। ऐसे विश्वविद्यालय (इग्नू को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, कि परीक्षाएँ मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ़ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।
- 6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
- 6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल 2014 के अनुसार-

जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है, जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्चशिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है। वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण पत्र प्रदान किये जा रहे हैं, ऐसे छात्र एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है, ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास + 2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

- 7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम/बी.एससी, बी.एच.एससी में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है, किन्तु सम्बद्ध

विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।

- 7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों में स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम/द्वितीय/तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम, द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता :-

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

- 8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/ऐटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.3 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एलएलबी के प्रथम/द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्ग्रेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.4 उपरोक्त कंडिका 07 के खण्ड 01 एवं 02 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को अस्थायी प्रवेश स्वमेव निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जायेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएँ :-

- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो, तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा। उसे मात्र मूल

- स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो और न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हों/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।
- 9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जांच करवायें एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।
- 9.4 प्रवेश हेतु आयु सीमा का बंधन समाप्त :-**
आयुक्त उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन रायपुर के पत्र क्रं. 1847/214/आउशि/सम. /2021 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 24/08/2021 के अनुसार राज्य शासन द्वारा प्रवेश मार्गदर्शिका वर्ष 2021-22 की कंडिका 9.4 (क), (ख), (ग), (घ) एवं (ङ) को विलोपित करते हुए सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में अधिकतम आयुसीमा के बंधन को समाप्त किया गया है।
- 9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-**
- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदन होने पर प्रवेश नियमानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा :-
- (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा
- (ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।
- 10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।
- 11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-**
- 11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षा में प्रवेश हेतु प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर सूची तैयार की जावेगी।
- 11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

- 11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण परंतु 48 प्रतिशत एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाये। अन्य क्रम यथावत रहेगा।
- 11.4 स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थियों को ही गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाये।
- 11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण :-

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा अर्थात् :-

- (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
- (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
- (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी।

परंतु, जहां अनुसूचित जनजातियों के साथ –साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जायेगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परंतु यह और कि पूर्वगामी परंतु क में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहां खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्रं. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों/भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षेत्रीय आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्रं. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति उर्ध्वधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र पौत्रियों, नाती, नातिन के लिए 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिए आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेंगी। परंतु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे –स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि

का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

- 12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- 12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
- 12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
- 12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्ययीन रहेगा।
- 12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू. पी. (सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में धारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129 (3) में यह निर्देश दिया गया है कि –
 “We direct the centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments.” का कड़ाई से पालन किया जाए।

13. अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा। पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./ एन.एस.एस./ स्काउट्स :-

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/ गाइड्स/ रेन्जर्स/ रावर्स के अर्थ में पढ़ा जावे ।

- | | | |
|-----|---|------------|
| (क) | एन.एस.एस./एन.सी.सी. “ए” सर्टिफिकेट | 02 प्रतिशत |
| (ख) | एन.एस.एस./एन.सी.सी. “बी” सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | 03 प्रतिशत |
| (ग) | “सी” सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | 04 प्रतिशत |
| (घ) | राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में गुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को | 04 प्रतिशत |
| (च) | नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कन्टिजेन्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को | 05 प्रतिशत |
| (छ) | राज्यपाल स्काउट्स | 05 प्रतिशत |
| (ज) | राष्ट्रपति स्काउट्स | 05 प्रतिशत |
| (झ) | छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैंडेट | 10 प्रतिशत |
| (य) | ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैंडेट | 10 प्रतिशत |
| (र) | भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैंडेट्स एन.सी.सी./एन.एस.एस के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैंडेट्स को/ अन्तर्राष्ट्रीय जम्हूरी में चयनित विद्यार्थी को | 15 प्रतिशत |

- 13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10 प्रतिशत
- 13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिता—
1. लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला संभाग स्तर पर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर पर प्रतियोगिता में
- (क) प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत
2. उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ एआईयू द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में —
- (क) प्रथम, द्वितीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 06 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत
- (ग) संभाग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत
3. भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित तथा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में
- (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत
- (ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
- (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत
- 13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चर एक्चेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत
- 13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में
- (क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्यों को 10 प्रतिशत
- (ख) प्रथम, द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
- 13.6 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन :-

- छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एनसीसी/खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन. सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स आथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि —
1. इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक खेल एवं युवक कल्याण छत्तीसगढ़ द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं
2. यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यर्थियों को मिलेगी, जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है। परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 05 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक होंगे।

15. शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालयों में पीएचडी के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाईजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 04 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाईजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा। महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाईजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था शोध कार्य पूर्ण जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। **संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।**

16. विशेष :-

- 16.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का अधिकार/दायित्व प्राचार्य का होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 09.2 एवं 09.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किए जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण के अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार—आयुक्त उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरस्त/संलग्न करने का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन/उच्च शिक्षा विभाग/मंत्रालय को होगा।

छात्रवृत्ति

1. आदिम जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को शासन द्वारा देय छात्रवृत्ति की पात्रता नियमानुसार होगी। अधिक जानकारी हेतु छात्र-छात्राएँ छात्रवृत्ति विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

2. बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति (गरीबी रेखा से नीचे) :-

जिन छात्र-छात्राओं के माता पिता गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) कार्डधारी हैं, उन्हें स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में इस छात्रवृत्ति की पात्रता है। इसके लिए गरीबी रेखा से नीचे कार्डधारी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्राप्तांकों का प्रतिशत 60 या उससे अधिक तथा माता पिता का मूल वेतन 25000 वार्षिक तक होना अनिवार्य है।

1. स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम - देय माह - 30 प्रतिमाह 300/-
2. स्नातकोत्तर दो वर्षीय पाठ्यक्रम देय माह - 20 प्रतिमाह 500/-

शासन द्वारा समय समय पर नियमों में संशोधन किया जाता है। शासन द्वारा संशोधित एवं परिवर्धित नियम लागू होंगे।

अन्य छात्रवृत्तियाँ :- राज्य शासन द्वारा निर्धारित छात्रवृत्ति समय-समय पर दी जाती है।

| कं. | छात्रवृत्तियों के प्रकार | अवधि | दर | आधार |
|-----|--|---|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | महाविद्यालय के लिये | 1 वर्ष | 50 रु. प्रतिमाह | योग्यता के आधार पर |
| 2. | रा.छा.सेना/सीनियर छात्रवृत्तियाँ | 2 वर्ष | 50 रु. प्रतिमाह | योग्यता के आधार पर |
| 3. | मृत शासकीय कर्मचारियों के बच्चों की विशेष शिष्यवृत्तियाँ पाठ्यक्रमानुसार | अन्य छात्रवृत्ति की तरह | | मूल वेतन सीमा 6000/- मृत शासकीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए (विभागीय अधिकारी का प्रमाणीकरण आवश्यक है।) |
| 4. | मृत सैनिकों के बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्तियाँ | 100 रु. प्रतिमाह छात्रावासी 60 रु. गैर छात्रावासी | | मृत सैनिकों को छ.ग. का निवासी होना आवश्यक है। |
| 5. | निर्धनता तथा योग्यता के आधार पर विशेष छात्रवृत्तियाँ | अन्य छात्रवृत्तियों की तरह 75 रु. प्रतिमाह छात्रावासी 50 रु. प्रतिमाह गैर छात्रावासी स्नातक | | निर्धनता तथा योग्यता के आधार पर साधन के आधार पर |
| 6. | आत्मसमर्पित डाकुओं के तथा डाकुओं द्वारा मारे गये लोगों बच्चों को विशेष छात्रवृत्ति | 100 रु. प्रतिमाह छात्रावासी स्नातकोत्तर 75 रु. गैर छात्रावासी स्नातकोत्तर | | |
| 7. | भिलाई इस्पात संयंत्र की ओर से मिलने वाली छात्रवृत्तियाँ कुल 4 पितृहीन कन्याओं के लिए | 50 रु. प्रतिमाह स्नातक स्तर | | योग्यता के अनुसार संयंत्र में कार्यरत व्यक्तियों के पुत्र/पुत्रियों को |
| 8. | निःशक्त जन छात्रवृत्ति | | | |
| 9. | तेदूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों के लिये | | | |
| 10. | अल्प संख्यक छात्रवृत्ति | | | |
| 11. | नौनिहाल छात्रवृत्ति | | | |
| 12. | बीडी बनाने वाले श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति | | | |
| 13. | संस्कृत विषय लेने पर छात्रवृत्ति | | | |
| 14. | केन्द्रीय छात्रवृत्ति | | | |

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता सामान्य नियम –

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा –

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेंगे। किसी भी स्थिति में उनकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिए।
2. विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर में सहपाठियों, शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ शालीन व्यवहार करेंगे। अभद्र व्यवहार/असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली-गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है।
3. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन वर्जित रहेगा।
4. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ रखना विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है। महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवारों को गन्दा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है।
5. विद्यार्थी के अस्वामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर, व्यसन करने, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन, आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। गुरुजनों के समक्ष शांतिपूर्ण ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी कठिनाई रखी जा सकती है।
6. विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेंगे तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेंगे।
7. व्याख्यान कक्षाओं, प्रयोगशालाओं या वाचनालय के पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग या उपकरणों की तोड़-फोड़ या अस्वच्छता फैलाने को दण्डात्मक आचरण माना जाएगा।
8. विद्यार्थी ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेंगे, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
9. महाविद्यालय परिसर में कक्षाओं के दौरान मोबाईल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।
10. महाविद्यालय में प्रवेश द्वार के समीप स्थित बैरियर/गार्डरूम के आगे विद्यार्थी एवं अन्य आगंतुकों के वाहनों का प्रवेश वर्जित है।
11. कक्षाओं में अध्यापन के समय बरामदों व महाविद्यालय परिसर में घूमना, अध्ययन-अध्यापन में किसी तरह की बाधा पहुँचाना सख्त मना है।
12. विद्यार्थियों के क्रियाकलापों के संबंध में उनके पालकों को बुलाया अथवा सूचित किया जाएगा।
13. अनुशासन तथा नियम भंग करने के दोषी छात्र दंड के भागी होंगे। अर्थदण्ड, कक्षा से निष्कासन अथवा अन्य निर्धारित दण्ड दिए जा सकते हैं।
14. महाविद्यालय परिसर में बाहरी व्यक्तियों का बिना पूर्व अनुमति के घूमना सख्त मना है।
15. महाविद्यालय आचरण संहिता के विरुद्ध कोई भी गतिविधि करने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
16. किसी भी विवाद की स्थिति में प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र :-

1. यदि छात्र किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पांच साल के कारावास की सजा या पांच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय से शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और वह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

अनुशासन संबंधी विश्वविद्यालय अधिनियम :-

म.प्र. विश्वविद्यालय नियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय के छात्र-छात्रा द्वारा महाविद्यालय में अथवा बाहर अनुशासन भंग किये जाने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य सक्षम है। अनुशासन हीनता के लिए उक्त अध्यादेश में निम्नांकित दण्ड का प्रावधान है।

1. निलंबन
2. निष्कासन
3. विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग/प्रताड़ना का प्रतिशोध अधिनियम 2001 :-

रैगिंग के अंतर्गत —कोलाहल पूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ाना, भद्दा या अशिष्ट आचरण करना, उपद्रवी एवं अनुशासनहीन क्रियाकलापों में संलग्न होना, जिससे नये छात्र-छात्राओं को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो, अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो अथवा छात्र/छात्राओं को ऐसे कार्य करने के लिए कहना, जो छात्र-छात्रा सामान्यतया नहीं कर सकता/सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो, अथवा जीवन के लिए खतरा हो।

छत्तीसगढ़ राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के अनुसार रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है— किसी छात्र को मजाक में या अन्य किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित करना या बाध करना, जो मानव मर्यादा के खिलाफ हो या जो उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे यह हास्यास्पद हो जाये या डरा धमका कर गलत ढंग से रोक कर, गलत ढंग से बंद करके चोट पहुंचाकर या उस पर अनुचित दवाब डालकर या उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अवरोध, गलत ढंग से बंदी बनाने, चोट या अनुचित दवाब डालकर या उसे भय दिखाकर वैधानिक कार्य करने से मना करना।

विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार की गतिविधि को रैगिंग के अंतर्गत माना जायेगा —

- जूनियर विद्यार्थियों द्वारा सीनियर विद्यार्थियों को 'सर' कहने के लिए
- सामूहिक कवायद करने के लिए
- सीनियर विद्यार्थियों के क्लास नोट्स उतारने के लिए
- अनेक सौंपे हुए कार्य करने के लिए
- सीनियरों के लिए मूल्योचित कार्य करने के लिए
- अश्लील प्रश्न पूछने या उनका उत्तर देने के लिए
- नये विद्यार्थियों को अपने सीधेपन के विपरीत अघात पहुंचाने, अश्लील चित्रों को देखने के लिए।
- शराब, उबलती हुई चाय आदि पीने के लिए बाध्य करना
- कामुक संकेतार्थ वाले कार्य— समलैगिंग कार्य सहित करने के लिए बाध्य करना।
- ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य करना जिससे शारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा या मृत्यु तक हो सकती है।
- अश्लीलतायें करना, चुम्बन लेना।

शैक्षणिक संस्था का विद्यार्थी प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा। यदि कोई विद्यार्थी इसका उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग के लिए दुष्प्रेरित करता है तो वह **5 वर्ष तक का कारावास या पांच हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।** दोषी विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जावेगा एवं उसे राज्य के अन्य शैक्षणिक संस्था में तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

महाविद्यालय से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु महत्वपूर्ण सम्पर्क कर्मांक एवं सम्पर्क स्थल

| कर्मांक | कार्य का विवरण | प्रभारी का नाम | सम्पर्क स्थल |
|---------|---|--|--|
| 1 | महाविद्यालय से संबंधित किसी प्रकार के सुझाव, प्रवेश अथवा शिकायत हेतु | प्राचार्य 0788-2359688 | प्राचार्य कक्ष |
| 2 | स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ से संबंधित कार्य | नियंत्रक, स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ 0788-2212030 | स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ |
| 3 | कार्यालय से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी/असुविधा होने संबंधी | मुख्य लिपिक 0788-2359688 | प्रशासनिक कार्यालय |
| 4 | बालक छात्रावास से संबंधित | छात्रावास अधीक्षक 9300414459 | अधीक्षक कार्यालय बालक छात्रावास |
| 5 | छात्रवृत्ति/शुल्क से संबंधित | छात्र लिपिक (प्रभारी) 9981019531 | प्रशासनिक कार्यालय |
| 6 | स्थानांतरण प्रमाण पत्र/चरित्र प्रमाण पत्र नामांकन आदि से संबंधित | छात्र लिपिक (प्रभारी) | प्रशासनिक कार्यालय |
| 7 | एनसीसी (छात्र विंग) से संबंधित | एनसीसी अधिकारी 9926170704 | एनसीसी कक्ष |
| 8 | एनसीसी (छात्रा विंग) से संबंधित | एनसीसी अधिकारी 9893467679 | एनसीसी कक्ष |
| 9 | एनएसएस (छात्रविंग) से संबंधित | कार्यक्रम अधिकारी, एनएसएस 9575392428 | एनएसएस कक्ष |
| 10. | एनएसएस (छात्रा विंग) से संबंधित | कार्यक्रम अधिकारी, एनएसएस 9827946117 | एनएसएस कक्ष |
| 11. | यूथ रेडकास इकाई | यूथ रेडकास प्रभारी 9827895972 | अंग्रेजी विभाग |
| 12 | एंटी रैगिंग सेल (छात्र-छात्राओं) से संबंधित प्रकरण | संयोजक, एंटी रैगिंग सेल 9926170704 | कॉमर्स विभाग |
| 13 | कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न संबंधी शिकायत | संयोजक, 9425565387 | अंग्रेजी विभाग |
| 14 | ग्रंथालय संबंधी जानकारी | ग्रंथपाल 9424114401 | मुख्य ग्रंथालय |
| 15 | खेलकूद आयोजनों संबंधी जानकारी | क्रीडा अधिकारी 9893810236 | क्रीडा विभाग |
| 16 | हेल्प डेस्क | संयोजक, हेल्प डेस्क 9826170704 | कामर्स विभाग |
| 17 | मनोवैज्ञानिक परामर्श केन्द्र | संयोजक, परामर्श केन्द्र 8882239226 | मनोविज्ञान विभाग |
| 18 | आईक्यूएसी | समन्वयक, आईक्यूएसी 9977717571 | आईक्यूएसी कक्ष कं. 21 |
| 19 | यूजीसी | संयोजक, यूजीसी सेल 9827162574 | कक्ष कं. 22 |
| 20 | कैरियर गाइडेंस/ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल | संयोजक, प्लेसमेंट सेल 9425557653 | गणित विभाग |
| 21 | प्राध्यापकों द्वारा गठित स्वयं सेवी संस्था जन उन्नयन से संबंधित जानकारी | अध्यक्ष, जन उन्नयन 9827470364 | अर्थशास्त्र विभाग |
| 22 | इग्नू अध्ययन केन्द्र | समन्वयक इग्नू अध्ययन केन्द्र 0788-2359596 | इग्नू अध्ययन केन्द्र |
| 23 | पं.सुन्दर लाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र | समन्वयक 9827492040 | महाविद्यालय ऑडिटोरियम के समीप स्थित कार्यालय |

शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(सत्र 2021-22)

डॉ. आर.एन.सिंह (प्राचार्य)

| हिन्दी विभाग | | | |
|----------------------|----------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | डॉ. अभिनेष सुराना | — | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष |
| 2 | डॉ. बलजीत कौर | — | प्राध्यापक |
| 3 | डॉ. जय प्रकाश साव | — | सहा.प्राध्यापक |
| 4 | डॉ. थानसिंह वर्मा | — | सहा.प्राध्यापक |
| 5 | डॉ. कृष्णा चटर्जी | — | सहा.प्राध्यापक |
| 6 | रिक्त | — | सहा.प्राध्यापक |
| 7 | रिक्त | — | सहा.प्राध्यापक |
| 8 | रिक्त | — | सहा.प्राध्यापक |
| अंग्रेजी विभाग | | | |
| 1 | डॉ. कु. मीता चक्रवर्ती | — | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष |
| 2 | डॉ. कमर तलत | — | प्राध्यापक |
| 3 | डॉ. सोमाली गुप्ता | — | प्राध्यापक |
| 4 | डॉ. सुचित्रा गुप्ता | — | प्राध्यापक |
| 5 | डॉ. मर्सी जार्ज | — | सहा.प्राध्यापक |
| 6 | डॉ. मीना मान | — | सहा.प्राध्यापक |
| 7 | डॉ. तरलोचन कौर | — | सहा.प्राध्यापक |
| 8 | रिक्त | — | सहा.प्राध्यापक |
| 9 | रिक्त | — | सहा.प्राध्यापक |
| संस्कृत विभाग | | | |
| 1 | श्री जैनेन्द्र कुमार दीवान | — | सहा.प्राध्यापक |
| अर्थशास्त्र विभाग | | | |
| 1 | डॉ. शिखा अग्रवाल | — | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष |
| 2 | डॉ. ए.के. खान | — | प्राध्यापक |
| 3 | डॉ. के. पद्मावती | — | सहा.प्राध्यापक |
| 4 | डॉ. एल.के. भारती | — | सहा.प्राध्यापक |
| 5 | डॉ. अंशुमाला चन्दनगर | — | सहा.प्राध्यापक |
| 6 | रिक्त | — | सहा.प्राध्यापक |
| भूगोल विभाग | | | |
| 1 | रिक्त | — | प्राध्यापक |
| 2 | डॉ. भावना मोहिले | — | सहा.प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष |
| 3 | रिक्त | — | सहा.प्राध्यापक |
| 4 | रिक्त | — | सहा.प्राध्यापक |
| समाजशास्त्र विभाग | | | |
| 1 | डॉ. आर.के. चौबे | — | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष |
| 2 | डॉ. अश्विनी महाजन | — | प्राध्यापक |
| 3 | डॉ. सुचित्रा शर्मा | — | सहा.प्राध्यापक |
| 4 | डॉ. सपना शर्मा | — | सहा.प्राध्यापक |
| राजनीतिशास्त्र विभाग | | | |
| 1 | डॉ. शकील हुसैन | — | सहा.प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष |
| 2 | रिक्त | — | सहा.प्राध्यापक |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 3 | रिक्त | — | सहा.प्राध्यापक |
| इतिहास विभाग | | | |
| 1 | डॉ. ए.के. पाण्डेय | — | सहा.प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष |
| 2 | डॉ. ज्योति धारकर | — | सहा.प्राध्यापक |
| 3 | डॉ. कल्पना अग्रवाल | — | सहा.प्राध्यापक |
| मनोविज्ञान विभाग | | | |
| 1 | डॉ. रचिता श्रीवास्तव | — | सहा.प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष |
| 2 | डॉ. प्रतिभा शर्मा | — | सहा.प्राध्यापक |
| भौतिकशास्त्र विभाग | | | |
| 1 | डॉ. पूर्णा बोस | — | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष |
| 2 | डॉ. जगजीत कौर सलूजा | — | प्राध्यापक |
| 3 | डॉ. रमाशंकर सिंह | — | प्राध्यापक |
| 4 | डॉ. अनिता शुक्ला | — | सहा.प्राध्यापक |
| 5 | श्रीमती सीतेश्वरी चन्द्राकर | — | सहा.प्राध्यापक |
| 6 | डॉ. अभिषेक कुमार मिश्रा | — | सहा.प्राध्यापक |
| रसायनशास्त्र विभाग | | | |
| 1 | डॉ. अनुपमा अस्थाना | — | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष |
| 2 | डॉ. अल्का तिवारी | — | प्राध्यापक |
| 3 | डॉ. सुकुमार चटर्जी | — | प्राध्यापक |
| 4 | डॉ. अनिल कश्यप | — | प्राध्यापक |
| 5 | डॉ. मंजू कौशल | — | प्राध्यापक |
| 6 | डॉ. अजय सिंह | — | प्राध्यापक |
| 7 | डॉ. नूतन राठौर | — | सहा.प्राध्यापक |
| 8 | प्रो. उपमा श्रीवास्तव | — | सहा.प्राध्यापक |
| 9 | डॉ. अजय पिल्लई | — | सहा.प्राध्यापक |
| 10 | डॉ. व्ही. एस. गीते | — | सहा.प्राध्यापक |
| 11 | डॉ. अनुपमा कश्यप | — | सहा.प्राध्यापक |
| 12 | डॉ. सुनीता मैथ्यू | — | सहा.प्राध्यापक |
| 13 | डॉ.प्रेरणा कठाने | — | सहा.प्राध्यापक |
| 14 | रिक्त | — | सहा.प्राध्यापक |
| मानव विज्ञान विभाग | | | |
| 1 | डॉ. संध्या अग्रवाल | — | सहा.प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष |
| कम्प्यूटर साइंस विभाग | | | |
| 1 | प्रो.दुर्गेश कोटांगले | — | सहा.प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष |
| 2 | रिक्त | — | सहा.प्राध्यापक |
| सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग | | | |
| 1 | श्रीमती रेखा गुप्ता | — | सहा.प्राध्यापक |
| 2 | श्रीमती नीतू दास | — | सहा.प्राध्यापक |
| वनस्पतिशास्त्र विभाग | | | |
| 1 | डॉ. रंजना श्रीवास्तव | — | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष |

| | | | |
|---|---------------------------|---|--|
| 2 | श्रीमती गायत्री पाण्डेय | — | सहा.प्राध्यापक |
| 3 | डॉ. के. आई.टोप्पो | — | सहा.प्राध्यापक |
| 4 | डॉ. जी.एस.ठाकुर | — | सहा.प्राध्यापक |
| 5 | डॉ. प्रज्ञा कुलकर्णी | — | सहा.प्राध्यापक एवं प्रभारी प्राध्यापक माइक्रोबायलोजी |
| 6 | डॉ. श्रीराम कुंजाम | — | सहा.प्राध्यापक |
| 7 | डॉ. विजय लक्ष्मी नायडू | — | सहा.प्राध्यापक |
| 8 | डॉ. सतीष सेन | — | सहा.प्राध्यापक |
| 9 | रिक्त | — | सहा.प्राध्यापक |
| प्राणी विज्ञान विभाग | | | |
| 1 | डॉ. कांति चौबे | — | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष |
| 2 | डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव | — | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष बायोटेक्नालोजी |
| 3 | डॉ. उषा साहू | — | सहा.प्राध्यापक |
| 4 | डॉ. दिव्या कुमुदिनी मिंज | — | सहा.प्राध्यापक |
| 5 | डॉ. नीरू अग्रवाल | — | सहा.प्राध्यापक |
| 6 | श्रीमती मौसमी डे | — | सहा.प्राध्यापक |
| 7 | डॉ. संजू सिन्हा | — | सहा.प्राध्यापक |
| 8 | डॉ. अलका मिश्रा | — | सहा.प्राध्यापक |
| बायोटेक्नालॉजी विभाग | | | |
| 1 | डॉ. श्वेता पाण्डेय | — | सहा.प्राध्यापक |
| भू-गर्भ शास्त्र विभाग | | | |
| 1 | डॉ. एस.डी. देशमुख | — | सहा.प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष |
| 2 | प्रतिनियुक्ति | — | अधिष्ठाता छात्र कल्याण हेमचंद यादव वि.वि.दुर्ग |
| गणित विभाग | | | |
| 1 | डॉ. एम. ए. सिध्दिकी | — | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष |
| 2 | डॉ. कु. पद्मावती | — | प्राध्यापक |
| 3 | डॉ. राकेश तिवारी | — | सहा.प्राध्यापक |
| 4 | डॉ. प्राची सिंह | — | सहा.प्राध्यापक |
| 5 | रिक्त | — | सहा.प्राध्यापक |
| सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन | | | |
| 1 | श्री दिलीप कुमार साहू | — | सहा.प्राध्यापक |
| 2 | श्रीमती लतिका ताम्रकार | — | सहा.प्राध्यापक |
| 3 | रिक्त | — | सहा.प्राध्यापक |
| वाणिज्य विभाग | | | |
| 1 | डॉ. ओ.पी. गुप्ता | — | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष |
| 2 | डॉ. एस.एन.झा | — | प्राध्यापक |
| 3 | डॉ. एच.पी. सिंह सलूजा | — | प्राध्यापक |
| 4 | डॉ. एस.आर. ठाकुर | — | सहा.प्राध्यापक |
| 5 | रिक्त | — | सहा.प्राध्यापक |
| विधि विभाग | | | |
| 1 | श्री देव प्रकाश दुबे | — | सहायक प्राध्यापक (उच्चशिक्षा विभाग रायपुर में पदस्थ) |
| क्रीडा विभाग | | | |
| 1 | रिक्त | — | क्रीडा अधिकारी |
| ग्रंथालय विभाग | | | |
| 1 | श्री विनोद कुमार अहिरवार | — | ग्रंथपाल |
| रजिस्ट्रार | | | |
| श्री आशुतोष कुमार साव | | | |

तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूची 2021-22

| कं. | कर्मचारियों के नाम (तृतीय श्रेणी) | पदनाम | कं. | कर्मचारियों के नाम (चतुर्थ श्रेणी) | पदनाम |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------|-----|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | श्री आर. एल. यादव | छात्रावास अधीक्षक | 1 | श्री व्यास नारायण देवांगन | प्रयोगशाला परिचारक |
| 2 | श्री संजय यादव | सहा. ग्रेड-1 (मुख्य लिपिक) | 2 | श्री प्रदीप कुमार | प्रयोगशाला परिचारक |
| 3 | दुर्गा प्रसाद सोनी | छात्रावास अधीक्षक | 3 | श्रीमती चमेली साहू | प्रयोगशाला परिचारक |
| 4 | श्री गुलशन देवांगन | स.ग्रे-2 | 4 | श्री आलोक चंदानिया | प्रयोगशाला परिचारक |
| 5 | श्री राकेश कुमार साहू | डाटा एन्ट्री आपरेटर | 5 | श्री नंदकुमार देशलहरे | प्रयोगशाला परिचारक |
| 6 | श्री राजू प्रसाद | स.ग्रे-3 | 6 | श्री अनिल साहू | प्रयोगशाला परिचारक |
| 7 | श्री मदन लाल कुटेरे | स.ग्रे-3 | 7 | श्रीमती रंजना कश्यप | प्रयोगशाला परिचारक |
| 8 | श्री राजेश श्रीवास्तव | प्रयोगशाला तकनीशियन | 8 | श्री कुमार कन्नौजे | प्रयोगशाला परिचारक |
| 9 | श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव | प्रयोगशाला तकनीशियन | 9 | श्री हीरालाल साहू | प्रयोगशाला परिचारक |
| 10 | श्री सत्येन्द्र कुमार सोनी | प्रयोगशाला तकनीशियन | 10 | श्री साजन कुमार दुबे | प्रयोगशाला परिचारक |
| 11 | श्रीमती शैल तिवारी | प्रयोगशाला तकनीशियन | 11 | श्री सुनील कुमार साहू | प्रयोगशाला परिचारक |
| 12 | श्री कन्हैया लाल ताम्रकार | प्रयोगशाला तकनीशियन | 12 | श्री केशव साहू | प्रयोगशाला परिचारक |
| 13 | श्रीमती किरण राखी पटले | प्रयोगशाला तकनीशियन | 13 | श्री सुखनंदन साहू | प्रयोगशाला परिचारक |
| 14 | श्री खिलावन सिंह बंछोर | प्रयोगशाला तकनीशियन | 14 | श्री हेमंत कुमार निर्मलकर | भृत्य |
| 15 | श्री दिनेश कुमार मिश्रा | प्रयोगशाला तकनीशियन | 15 | श्री ईश्वरी प्रसाद साहू | भृत्य |
| 16 | श्रीमति शांति कुमारी रजवाड़े | प्रयोगशाला तकनीशियन | 16 | श्री कृपाल राम पटेल | भृत्य |
| 17 | रिक्त | प्रयोगशाला तकनीशियन | 17 | श्री मोहित राम सिन्हा | भृत्य |
| 18 | रिक्त | प्रयोगशाला तकनीशियन | 18 | रिक्त | भृत्य |
| 19 | रिक्त | प्रयोगशाला तकनीशियन | 19 | रिक्त | भृत्य |
| 20 | रिक्त | प्रयोगशाला तकनीशियन | 20 | श्री चिन्ता राम यादव | फर्दास |
| 21 | रिक्त | प्रयोगशाला तकनीशियन | 21 | रिक्त | फर्दास |
| | | | 22 | श्री मनोज तिवारी | बुक लिफ्टर |
| | | | 23 | श्री के. बम्ह नायडू | चौकीदार |
| | | | 24 | श्री गंगा प्रसाद | स्वीपर |
| | | | 25 | श्री सुनील कुमार लंगोटे | स्वीपर |
| | | | 26 | श्री शिवकुमार देवांगन | वाटर मेन |
| | | | 27 | श्री रमेशरुराम बघेल | चौकीदार |

शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
Govt. Vishwanath Yadav Tamskar P.G. Autonomous College Durg CG



ग्रंथालय सदस्यता हेतु आवेदन पत्र (Library Membership Form)

Name of Applicant (in English)
आवेदक का नाम (हिन्दी में) :
पिता का नाम :
नमूना हस्ताक्षर
Category of Applicant :.....(Gen/SC/ST/OBC/BPL)
Class Roll No.Sec.
विषय/ग्रुप :
मोबाईल/फोन नम्बर :.....
ईमेल :.....
स्थायी पता :मकान नं.....वार्ड नं.....
(पता के प्रमाणीकरण के लिये आवश्यक दस्तावेज लगावें)
पोस्टगांव.....
थाना.....तहसील.....
जिला.....प्रदेशपिन.....
वर्तमान पता :मकान नं.....वार्ड नं.....
पोस्टगांव
थाना.....तहसील.....
जिला.....प्रदेशपिन.....

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है यदि असत्य पायी जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त करने योग्य होगा।

मैंपिता/पति श्री.....घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ग्रंथालय के समस्त नियमों का पालन करूंगा/करूंगी। नियमों के अनुसार पुस्तकों को समय पर वापिस करूंगा/करूंगी। यदि मेरे द्वारा समय पर पुस्तकें नहीं लौटाई गई तो मेरे विरुद्ध पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु महाविद्यालय स्वतंत्र होगा।

स्थान – हस्ताक्षर
आवेदक का नाम
कक्षा—
दिनांक – हस्ताक्षर
पिता का नाम

छ.ग. लोकसेवा गारंटी अधिनियम – 2011

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2011

क्र. 4397 / 3586 / 11 / 38-1, - छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन 2011) कि धारा 3,4,5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा निचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय- सीमा, सेवा प्रदान करने वाली पदाभिहित अधिकारी (पद) समक्ष अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् -

अनुसूची

| सं क्र. | कार्यालय / निकाय / अभिकरण का नाम | छ.ग. लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है | सेवा प्रदाय करने की समय - सीमा (कार्य-दिवस) | सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित प्राधिकारी (पद) | समक्ष अधिकारी | अपीलीय प्राधिकारी |
|---------|---|---|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | समस्त प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय (छात्रों से संबंधित) | सभी प्रकार के रिफंड का भुगतान समस्त महाविद्यालय में प्रवेश के आवेदनों का निपटारा अ. छात्रवृत्ति स्वीकृति ब. छात्रवृत्ति का भुगतान पुस्तको का प्रदाय स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करना परिचय पत्र जारी छात्रावास में प्रवेश मार्क शीट, चरित्र प्रमाण | 15 दिन प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक 30 दिन के भीतर 15 दिवस 15 कार्य दिवस 7 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस | प्राचार्य प्राचार्य प्राचार्य प्राचार्य प्राचार्य प्राचार्य प्राचार्य प्राचार्य | कलेक्टर कलेक्टर कलेक्टर कलेक्टर कलेक्टर कलेक्टर कलेक्टर कलेक्टर | संभागीय आयुक्त संभागीय आयुक्त संभागीय आयुक्त संभागीय आयुक्त संभागीय आयुक्त संभागीय आयुक्त संभागीय आयुक्त संभागीय आयुक्त संभागीय आयुक्त |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

छात्र/छात्रा का शपथ पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कु.
(माता-पिता/अभिभावक का पूरा नाम)
(छात्र का पूरा नाम, प्रवेश पंजीयन/नामांकन संख्या सहित)
(संस्था का नाम)

मैं हो चुका है या हो गया है को उच्च शिक्षण संस्थानों में रैंगिंग के अपराध को समाप्त करने के लिए यू. जी. सी. नियमावली 2009 प्राप्त की, उसको सावधानी पूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा ।
मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका - 3 का अध्ययन किया और रैंगिंग किस प्रकार की होती है के प्रति सजग हुआ ।
मैंने कंडिका 7 और 9.1 के नियमों का भी विशेष अध्ययन किया और मैं प्रशासकीय कार्यवाही से अवगत हूँ जिसके अंतर्गत यदि मैं रैंगिंग को बढ़ावा देता हूँ/देती हूँ अथवा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता / करती हूँ या षडयंत्र करता / करती हूँ तो मेरे विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है ।
मैं सत्य निष्ठा से संकल्प लेता / लेती हूँ कि -
(अ) मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा / करूंगी जोकि कंडिका - 3 के नियम के अंतर्गत रैंगिंग की श्रेणी में आता हो
(ब) मैं ऐसे किसी भी कार्य में प्रतिभागी नहीं बनूंगा / बनूंगी जो कंडिका - 3 रैंगिंग के अंतर्गत अपराध को बढ़ाया देता हो तो (लोकप्रिय) फैलाता हो ।
मैं सत्य निष्ठा से वचन देता / देती हूँ कि यदि मैं रैंगिंग में लिप्त पाया जाता / जाती हूँ तो मेरे विरुद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के अपराधिक कार्यवाही की जा सकती है ।
मैं घोषणा करता / करती हूँ कि देश की किसी भी संस्था से ना तो निकाला गया और न ही प्रवेश के लिए वर्जित किया गया न ही रैंगिंग जैसे अपराध को बढ़ावा देने सहायता करने या षडयंत्र में अपराधी पाया गया/गई हूँ । मैं अच्छी तरह जानता/जानती हूँ कि यदि मेरी ये घोषणा असत्य पाई जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है ।
घोषणा की दिनांक : दिनांक माह वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लेखित सभी तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है और कोई भी तथ्य असत्य नहीं है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।
सत्यापन का (स्थान) (दिन) (माह) (वर्ष)

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

उपस्थिति में शपथ-पत्र में उल्लिखित नियमों का अध्ययन कर (दिन) माह वर्ष
को हस्ताक्षर आत्कि स्वीकृति दी गई ।

शपथ आयुक्त

माता-पिता/अभिभावक का शपथ पत्र

- मैं श्री/श्रीमती/कु.
- (माता-पिता/अभिभावक का पूरा नाम)
- (छात्र का पूरा नाम, प्रवेश पंजीयन/नामांकन संख्या सहित)
- (संस्था का नाम)
- में प्रवेश हो चुका है, पुष्टि करता हूँ कि मुझे रैगिंग अपराध को समाप्त करने हेतु यू.जी.सी. की नियमावली 2009 प्राप्त हुई जिसे मैंने सावधानीपूर्वक पढा और पूर्णतः समझा ।
2. मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका-3 का अध्ययन किया और रैगिंग क्या है से अवगत हुआ ।
मैंने उक्त नियमों की कंडिका 7 और 9.1 का विशेष अध्ययन किया और मैं पूर्ण रूप से अवगत हूँ कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग को बढ़ावा देने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है ।
 4. मैं सत्य निष्ठा से संकल्प लेता हूँ कि -
(अ) मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी प्रकार के रैगिंग अपराध में सम्मिलित नहीं होगा जो कि कंडिका -3 के अंतर्गत आता है ।
(ब) मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी ऐसे कार्य में प्रतिभागी नहीं बनेगा तो कंडिका -3 के अंतर्गत रैगिंग अपराध की श्रेणी में आता हो ।
 5. मैं सत्य निष्ठा से बचन देता हूँ कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के सजा हो सकती है ।
 6. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग के अपराध के कारण देश की किसी भी संस्था से न तो निष्कासित किया गया न ही प्रवेश से वंचित किया गया ।
घोषणा की दिनांक माह वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पता

फोन/मोबाईल नंबर

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तथ्य मेरे स्वयं के ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।
सत्यापन का (स्थान) (दिन) (माह) (वर्ष)

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

मेरी उपस्थिति में शपथ-पत्र में उल्लिखित नियमों का अध्ययन कर (दिन) माह वर्ष को हस्ताक्षर आत्कि स्वीकृति दी गई ।

शपथ आयुक्त



छात्र अपना
पासपोर्ट
साईज फोटो
चिपकायें

छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र

—: आवेदक का विवरण :—

1. पूरा नाम (हिन्दी) :
 - (अंग्रेजी) :
 2. पिता का नाम :
 3. माता का नाम :
 4. जन्म तारीख :
 5. किस कक्षा में प्रवेश लिया व कं. :
 6. ब्लड ग्रुप :
 7. पिता का व्यवसाय :
 8. जमा की गई शुल्क की राशि एवं रसीद क्रमांक का विवरण :
 9. यदि छात्रावास में गतवर्षों में छात्रावास में रहे हों तो उसका विवरण :—
कं. सत्र छात्रावास का नाम
(1)
(2)
 10. जिस परीक्षा के आधार पर अगामी कक्षा में प्रवेश लिया है उसका विवरण :—
अंको का प्रतिशतश्रेणीवर्ष.....
 11. जाति :- (1) सामान्य (2) अ.जा.....
(3) अ.जन.जा..... (4) पिछड़ा वर्ग
 12. पूर्ण स्थानीय पता :
 13. स्थायी पता
 14. संपर्क दूरभाषमोबाईल
- मैं घोषित करता हूँ कि छात्रावास संबंधी नियमों व उपनियमों तथा समय-समय पर प्राचार्य एवं अधीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों का मेरा पालन, पालन करेगा एवं किसी नियम या उपनियम के उल्लंघन के कारण यदि उसे छात्रावास से निष्कासित किया जाता है तो वह मुझे मान्य होगा।
अभिभावक के हस्ताक्षर एवं पूर्ण पता : विद्यार्थी के हस्ताक्षर एवं नाम
तथा विद्यार्थी के साथ संबंध तारीख

—: प्रवेश अनुशंसा पत्रक :—

छात्रावास कं.में श्रीकक्षा

को प्रवेश दिया गया और इन्हें तीन सीट/दो सीट/एक सीट वाले कमरे में निवासित किया गया।

प्राचार्य

हस्ताक्षर वार्ड न :

छात्रावास क्रमांक

दिनांक

क्रमांक

शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

शुल्क की मूल रसीद आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें।

स्वशासी परीक्षा वर्ष - 20
पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना हेतु आवेदन पत्र



आवेदन पत्र मूल्य - रु 10/-

1. कक्षा :
 2. रोल नं. :
 3. आवेदक का नाम :
 4. आवेदक के पिता का नाम :
 5. पूर्ण पता :
 6. मोबाईल नं./फोन नं. :
- (अनिवार्य रूप से लिखें)

पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्रों का विवरण

| क्र | विषय | प्रश्न पत्र क्र. | प्रश्नपत्र का नाम जिसका पुनर्गणना / पुनर्मूल्यांकन करवाना है | प्राप्तांक | पूर्णांक |
|-----|------|------------------|--|------------|----------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |

.....
(आवेदक के हस्ताक्षर)

नाम

मोबाईल नं.

(टीप : पुनर्मूल्यांकन हेतु नियम एवं शर्तें कृपया आवेदन पत्र के द्वितीय पृष्ठ में देखें।

अप्राप्त आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे एवं शुल्क भी वापस नहीं होगा।

पावती

नाम कक्षा पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना शुल्क
के मूल रसीद के साथ आज दिनांक को प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर लिपिक

पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना हेतु पात्रता संबंधी नियम एवं शर्तें

1. आवेदक अधिकतम दो प्रश्न पत्रों का ही पुनर्मूल्यांकन करा सकते हैं। प्रत्येक प्रश्नपत्र पुनर्मूल्यांकन के लिए शुल्क रु. 200.00 (रु दो सौ मात्र) तथा पुनर्गणना के लिए 50/- (रु. पचास मात्र) प्रति प्रश्नपत्र तथा सभी प्रश्नपत्रों के लिए 300.00 निर्धारित है।
2. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना आवेदन परीक्षा परिणाम घोषित होने के दिनांक से 15 दिनों के अंदर ही स्वीकार किये जायेंगे। परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षार्थी प्राप्तांक अंक तालिका (Tabulation Chart) से प्राप्त कर सकते हैं तथा इसी के आधार पर भी पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना आवेदन पत्र मान्य होगा।
3. निम्न कारणों से पुनर्मूल्यांकन आवेदन पत्र निरस्त होगा -
 - अ जो छात्र तीन या अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण है, और पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन जमा करते हैं। तो आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा।
 - ब पूरक परीक्षा (अंतिम अवसर) में सम्मिलित हुए छात्र यदि पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन जमा करते हैं तो आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा।
 - स जिन छात्रों को दो विषयों में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है ऐसे छात्र दोनो अनुत्तीर्ण विषयों के एक-एक प्रश्नपत्र में पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करना होगा, यदि वे एक ही विषय के दोनो प्रश्नपत्र में आवेदन करते हैं तो आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा।
4. निम्न छात्रों को पुनर्मूल्यांकन की पात्रता होगी -
 - अ उत्तीर्ण छात्र किन्ही भी दो प्रश्न पत्रों में पुनर्मूल्यांकन करा सकते हैं।
 - ब पूरक छात्र पूरक विषय के एक या दोनो /पूरक विषय का एख तथा उत्तीर्ण विषय का एक प्रश्नपत्र में भी पुनर्मूल्यांकन करा सकता है।
 - स जिन छात्रों को दो विषयों में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है ऐसे छात्र दोनो अनुत्तीर्ण विषयों के एक-एक प्रश्नपत्र में पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा।
5. परीक्षार्थी सभी लिखित उत्तर पुस्तिकाओं के प्राप्तांकों की पुनर्गणना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
6. स्नातकोत्तर सेमेस्टर परीक्षाओं में पुनर्मूल्यांकन की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा समाप्त कर दी गई है, केवल पुनर्गणना की पात्रता होगी।
7. पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् यदि छात्र मूल प्राप्तांकों से कम अंक प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में कम हुए प्राप्तांकों के बराबर उसके प्राप्तांक माने जायेंगे।
8. आवेदक पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना संबंधी सभी निर्देशों को पढ़कर ही आवेदन करें। उपरोक्त नियमों के विपरीत जमा किये गए आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएंगे। तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। जिसके लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे महाविद्यालय की स्वशासी परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के नियमों की जानकारी है तथा यह नियम मुझे मान्य है।

दिनांक

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

कक्षा

रोल नं.

मोबाईल नं.